



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]
No. 182]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अप्रैल 10, 2003/चैत्र 20, 1925
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 10, 2003/CHAITRA 20, 1925

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2003

सा.का.नि. 333(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उप-धारा(2) के खंड (ग क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनती है, अर्थातः

अध्याय - 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अभिदायी भविष्य निधि) नियम, 2003' है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी माने जाएंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "अधिनियम" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

- (ग) "बोर्ड" से नियम 3 के अधीन गठित न्यासी बोर्ड अभिप्रेत है;
- (घ) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से इन नियमों के प्रयोजनार्थ, सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (च) "अभिदाय" से इन नियमों के अधीन, किसी अभिदाता के संबंध में निधि में, किसी व्यक्तिगत रकम के जमा खाते में किसी अभिदाय, या निक्षेप या अतिशेष में वृद्धि के रूप में निधि में जमा की गई कोई रकम अभिप्रेत है ।
- (छ) "आश्रित" से भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित, अभिदाता का कोई आश्रित अभिप्रेत है;
- (ज) "परिलब्धियों" से केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए मूल नियमों में यथा परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन, या जीवन निर्वाह अनुदान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं
- (i) वेतन के लिए समुचित महंगाई वेतन, छुट्टी वेतन, या जीवन निर्वाह अनुदान के, यदि अनुज्ञेय है तो,
- (ii) ऐसे कर्मचारियों को, जिनका पारिश्रमिक नियत मासिक वेतन द्वारा नहीं दिया जाता है, प्राधिकरण द्वारा संदत्त कोई मजदूरी; और
- (iii) अन्यत्र सेवा के संबंध में प्राप्त वेतन की प्रकृति का कोई पारिश्रमिक;
- (झ) "कर्मचारी" से अधिकारी और ऐसे अन्य कर्मचारी अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए हों, किन्तु इनके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया व्यक्ति नहीं है ;
- (ञ) "कुटुंब" से अभिप्रेत है -
- (i) किसी पुरुष अभिदाता की दशा में, उसकी पत्नी या पत्नियां, संतानें, माता-पिता, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और संतानें और जहां अभिदाता के माता-पिता में से कोई जीवित नहीं हैं वहां उसके पितामह या पितामही;

परंतु यदि कोई अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक हो गई है अथवा वह, अभिदाता को शासित करने वाली स्वीय विधि के अधीन, या वह उस अपने समुदाय की जिसकी वह है, रूढिजन्य विधि के अधीन, भरण-पोषण की हकदार नहीं रह गई है तो उसे तब से उन मामलों में जिनका संबंध इन नियमों से है, अभिदाता के कुटुंब का भाग नहीं समझा जाएगा जब तक कि अभिदाता पश्चातवर्ती सचिव को लिखित रूप में यह सूचित न करे कि उसे उस रूप में माना जाता रहेगा।

(ii) किसी स्त्री अभिदाता की दशा में उसका पति, माता-पिता, संतानें, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और संतानें और जहां अभिदाता के माता-पिता में से कोई जीवित न हों वहां उसके पितामह या पितामही:

परंतु यदि अभिदाता, सचिव को लिखित सूचना देकर अपने कुटुंब से अपने पति को अपवर्जित करने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है तो पति को, तब से उन मामलों में जिनका संबंध इन नियमों से है, अभिदाता के कुटुंब का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि अभिदाता पश्चातवर्ती ऐसी सूचना को लिखित रूप में रद्द न कर दे।

- (ट) "निधि" से नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन गठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अभिदायी भविष्य निधि अभिप्रेत है ;
- (ठ) "सरकारी प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा जो उसका लोक ऋण अधिनियम 1944 (1944 का क्रमांक 18) में है ;
- (ड) "छुट्टी" से प्राधिकरण के कर्मचारीवृंद को मंजूर की गई किसी प्रकार की छुट्टी अभिप्रेत है।
- (ढ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं ;
- (ण) "मास" से कैलेंडर मास अभिप्रेत है;
- (त) "सभापति" से न्यासी बोर्ड के सभापति अभिप्रेत है;
- (थ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (द) "सचिव" से न्यासी बोर्ड के सचिव अभिप्रेत है;

- (घ) "अभिदाता" से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य और प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी और अन्य कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वह व्यक्ति नहीं है जो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है ;
- (न) "अभिदान" से निधि में अभिदान के लिए कर्मचारी का अंश अभिप्रेत है ;
- (प) "न्यासी" से नियम 6 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (फ) "वर्ष" से कोई वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ;
2. उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम और भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में हैं ।

अध्याय II

निधि का गठन, प्रबन्ध और प्रशासन

3. निधि का गठन : (1) प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अभिदायी भविष्य निधि के नाम से एक निधि का गठन करेगा।

(2) निधि रूप्यों में रखी जाएगी।

(3) इन नियमों के अधीन निधि में संदत्त सभी राशियां 'भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अभिदायी भविष्य निधि' नामक खाते में जमा की जाएंगी।

(4) निधि अभिदाताओं के फायदे के लिए एक अप्रतिसंहरणीय न्यास का गठन करेगी।

4. निधि की आस्तियां - निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

(क) इन नियमों के निबंधनों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले अभिदाय तथा अभिदाताओं द्वारा किए जाने वाले अभिदान ;

(ख) ब्याज जो यथास्थिति ऐसे अभिदायों या अभिदानों पर प्रोद्भूत हों ;

- (ग) किसी अन्य भविष्य निधि से अंतरित अतिशेष जहां ऐसे अंतरण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किए गए हों;
- (घ) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार निधि में व्यपगत धन; और
- (ङ) निधि की अनुवृद्धियों से क्रय की गई प्रतिभूतियां और निधि की पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से उद्भूत अभिलाभ।

5. निधियों का प्रशासन और लेखा परीक्षा (1) प्राधिकरण के अभिदायों के रूप में और अभिदाता के अभिदानों के मद्दे निधि में प्राप्त कुल रकम संबंधित खातों में जमा की जाएगी।

(2) निधि में व्यापगत सभी रकम 'व्यपगत खाते' को अंतरित की जाएगी किन्तु विनिधानों के विक्रय से लाभ या हानि, यदि कोई हो, अंतरित नहीं की जाएगी।

(3) यथास्थिति, सभी ब्याज, भाटक और अन्य आय, जो प्रोदभूत या वसूल की गई है, 'ब्याज आय खाता' नामक खाते में जमा की जाएगी।

(4) निधि से संबंधित सभी धनों का ऐसी रीति में जो समय-समय पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों/ अनुदेशों में विनिर्दिष्ट हैं या उस रीति में जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का क्रमांक 2) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट हैं, विनिधान किया जाएगा।

(5) निधि के लेखाओं की लेखा परीक्षा प्राधिकरण के लेखाओं की परीक्षा करने वाले प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

6. निधि का प्रबन्ध - (1) निधि की अभिरक्षा, नियंत्रण और प्रबंध बोर्ड में निहित होगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा :

- (क) सलाहकार (प्रशासन तथा विधि) जोकि पदेन सभापति होगा;
- (ख) उप-सलाहकार (वित्त और लेखा) जो पदेन न्यासी होगा;
- (ग) उप-सलाहकार (प्रशासन तथा विधि) जो पदेन न्यासी होगा;

(घ) प्राधिकरण के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि जिनमें से एक प्राधिकरण के प्रशासन और विधि प्रभाग से भिन्न प्रभाग के कर्मचारिवृन्द संवर्ग से होगा और दूसरा प्राधिकरण के कर्मचारियों की वह महिला प्रतिनिधि होगी, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित प्राधिकरण के वित्त तथा लेखा खंड से कोई अधिकारी सचिव होगा। सचिव को उतने कर्मचारीवृन्द सहायता के लिए प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध किए जाएंगे, जो अध्यक्ष समय-समय पर अवधारित करे। सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह बोर्ड के अधिवेशन बुलाए, उसके अभिलेख रखे, लेखों के समुचित रख रखाव और बोर्ड के विनिश्चयों को लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करे।

7. न्यासी बोर्ड की पदावधि : (1) पदेन न्यासी से भिन्न प्रत्येक न्यासी इन नियमों के अधीन रहते हुए उस तारीख से, जिसको नामनिर्देशन किया जाता है, प्रारंभ करते हुए दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) जहां किसी न्यासी के पद (पदेन न्यासी से भिन्न) की कोई आकस्मिक रिक्ति होती है, वहां अध्यक्ष ऐसी रिक्ति को भरने के लिए निधि के अभिदाता को न्यासी के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगा और इस प्रकार नामनिर्देशित कोई न्यासी, उस न्यासी की अपयर्वसित अवधि के लिए, जिसके स्थान पर वह नामनिर्देशित किया गया है, पद धारण करेगा।

(3) पद छोड़ने वाला न्यासी पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

8. न्यासी का त्यागपत्र और बने न रहना - (1) पदेन न्यासियों से भिन्न कोई न्यासी, अपने पद से अध्यक्ष को संबोधित करते हुए पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकेगा और उसका पद उस तारीख से, जिसको अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है, रिक्त हो जाएगा।

(2) यदि पदेन न्यासियों से भिन्न कोई न्यासी, अध्यक्ष की अनुमति अभिप्राप्त किए बिना बोर्ड के तीन निरंतर अधिवेशनों में उपस्थित रहने में असफल रहता है तो वह न्यासी नहीं रहेगा, परन्तु बोर्ड स्वप्रेरणा से या ऐसे न्यासी द्वारा इस निमित्त कोई आवेदन किए जाने पर उसके पर को प्रतिस्थापित कर सकेगा यदि वह समाधान हो जाता है कि अनुपस्थिति के लिए युक्तियुक्त कारण थे।

9. न्यासिता के लिए निरर्हताएं और हटाया जाना - (1) किसी व्यक्ति को न्यासी होने के लिए निरर्हित किया जाएगा -

- (क) यदि वह कोई अनुमोचित दिवालिया है ;
- (ख) यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित किया गया है;
- (ग) यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है ;
- (घ) यदि वह प्राधिकरण का कोई कर्मचारी नहीं रह गया है या वह किसी कारण से निधि का अभिदाता नहीं रह गया है ।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई व्यक्ति उप नियम (1) के अधीन निरर्हित है तो, इसे अध्यक्ष के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय इस प्रश्न के संबंध में अंतिम होगा ।

(3) प्राधिकरण, यदि उसकी यह राय है कि ऐसा न्यासी ऐसे हित का प्रतिनिधित्व करने से प्रतिविरत हो गया है जिसका नियम 6 के उप नियम (1) के खंड (घ) के निबंधनों के अनुसार बोर्ड में प्रतिनिधित्व करना तात्पर्यित है तो, उसे प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् किसी न्यासी को पद से हटा सकेगा।

10. अधिवेशन और गणपूर्ति - (1) बोर्ड का अधिवेशन नई दिल्ली में उस समय, जो इस निमित्त सभापति द्वारा नियत किया जाए, होगा । सभापति जब भी वह ठीक समझे, और दो से अन्यून न्यासियों से लिखित में अध्यक्षता प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर बोर्ड का अधिवेशन बुलाएगा ।

(2) प्रत्येक न्यासी को बोर्ड के अधिवेशन के संबंध में पंद्रह दिन से अन्यून की सूचना दी जाएगी:

परंतु जब सभापति ऐसे किसी विषय पर जो उसकी राय में अत्यावश्यक है विचार करने के लिए पन्द्रह दिन से कम की सूचना पर अधिवेशन बुलाता है तब ऐसी लघुतर सूचना इस नियम के प्रयोजन के लिए पर्याप्त सूचना समझी जाएगी ।

(3) सभापति, बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित न्यासियों में से किसी एक न्यासी को उक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेगा, इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति को ऐसे अधिवेशन में सभापति की संपूर्ण शक्तियां होंगी ।

(4) बोर्ड के किसी अधिवेशन में तब तक कोई कारबार संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि तीन न्यासी उपस्थित न हों, उनमें से कम से कम एक उनमें से होगा, जो इस नियम के 6 के उप नियम (1) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्देशित हैं

(5) यदि किसी अधिवेशन में गणपूर्ति विद्यमान नहीं है, सभापति मूल अधिवेशन की तारीख से सात दिन से अपश्चात् की किसी तारीख के लिए, न्यासियों को आस्थगित अधिवेशन के समय एवं स्थान की सूचना देते हुए अधिवेशन को आस्थगित कर देगा। तत्पश्चात् ऐसे आस्थगित अधिवेशन में उपस्थित न्यासियों की संख्या ध्यान में रखे बिना कारोबार का निष्पादन करना न्यायसंगत होगा।

(6) बोर्ड के अधिवेशन में विचार किया गया प्रत्येक प्रश्न का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले न्यासियों के मतों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और समान मत रहने की दशा में सभापति द्वितीय या निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।

11. **बैठक का कार्यवृत्त:** (1) बोर्ड के अधिवेशन का कार्यवृत्त बोर्ड के सचिव द्वारा रखा जाएगा। बोर्ड की अगली बैठक में संशोधनों सहित या उनके बिना कार्यवृत्त की पुष्टि होने पर, इस प्रकार पुष्टि किए गए कार्यवृत्त को कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा और सभापति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसे अभिलिखित और हस्ताक्षरित कार्यवृत्त उनकी परिशुद्धता का सबूत होगा।

(2) बोर्ड का कोई कार्य अथवा कार्यवाही मात्र किसी रिक्ति अथवा बोर्ड के गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी।

(3) कोई न्यासी उसके द्वारा वस्तुतः प्राप्त धन और प्रतिभूति की बाबत से अन्यथा पुष्टि के लिए किसी रसीद पर उसके हस्ताक्षर होते हुए भी किसी के लिए भी उत्तरदायी अथवा प्रभार्य नहीं होगा, और वह केवल अपने कृत्यों, उपेक्षाओं अथवा व्यतिक्रमों के लिए उत्तरदायी और लेखादायी होगा और न कि किसी अन्य न्यासी अथवा किसी बैंकर, दलाल या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, जिनके पास कोई निधि या उसको व्यपदिष्ट करने वाला कोई निवेश जमा किया गया हो अथवा जिसकी सलाह या राय पर न्यासियों ने कोई कार्रवाई की हो, वह किन्हीं प्रतिभूतियों की अपर्याप्तता अथवा कमियों अथवा इस कारण होने वाली किसी भी हानियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, उन स्थितियों को छोड़कर जब वे उसके स्वयं के व्यतिक्रम के कारण हुई हों।

12. फीस और भत्ते, निधि से सम्बन्धित सभी खर्चे निधि पर प्रभारित नहीं किए जाएंगे।

13. पात्रता की शर्तें - (1) ये नियम प्राधिकरण के अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के मामले में लागू होंगे जिसे -

(क) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व इसके संवर्गों में नियुक्त कर लिया गया है अथवा संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है; अथवा

(ख) प्राधिकरण द्वारा इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् नियुक्त किया जा सकेगा ।

(2) यदि कोई कर्मचारी, जो किसी कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 19) के अंतर्गत आने वाली अभिदायी भविष्य निधि अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य भविष्य निधि और/ अथवा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का क्रमांक 43) के अधीन मान्यताप्राप्त किसी अन्य भविष्य निधि का अभिदाता है, और उसने कार्यग्रहण करते समय उसके नाम जमा भविष्य निधि राशि निकाली नहीं है तो, उसकी निधि में उसके नाम जमा संराशिकृत राशियों को निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

(3) राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के विभाग अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य अधिनियमों के अधीन स्थापित निगम के पेंशनभोगी तथा अधिवर्षिता प्राप्त व्यक्ति अपनी नियुक्ति की तारीख से निधि के अभिदाता हो सकेंगे:

परंतु उनकी नियोजन एक वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए है या एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए विस्तारित किया गया है, या उनकी नियुक्ति में अभिदायी भविष्य निधि की सुविधा का उपबंध है ।

(4) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति निधि का अभिदाता होने के लिए तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक कि उनकी नियुक्ति की संविदा में उसके किए विशिष्टता उपबंध न हो।

14. नाम-निर्देशन - (1) निधि में शामिल होते समय कोई अभिदाता, प्राधिकरण के ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशासन और निधि) के माध्यम से सचिव के पास अनुसूची 1 में यथानिर्दिष्ट एक नाम-निर्देशन प्रारूप भेजेगा जिसमें वह, रकम संदेय होने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में या उस दशा में, जब रकम संदेय हो गई हो, किन्तु दी न गई हो, एक या अधिक व्यक्तियों को वह रकम जो निधि में उसके नाम जमा हो, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा ।

परन्तु यह कि यदि नाम-निर्देशन करते समय अभिदाता का कोई कुटुंब है तो, नाम-निर्देशन किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा, जो कुटुंब के सदस्य न हों:

परन्तु यह और कि अभिदाता द्वारा ऐसी किसी अन्य भविष्य निधि के सम्बन्ध में जिसमें वह निधि में सम्मिलित होने से पूर्व अभिदान करता था, यदि ऐसी अन्य निधि में उसके नाम जमा रकमें, इस निधि को अंतरित कर दी गई हैं, तो किया गया नाम निर्देशन जब तक कि वह इस नियम के अनुसार कोई नाम-निर्देशन नहीं करता है, इस नियम के अनुसार सम्यक रूप में किया गया नाम-निर्देशन समझा जाएगा।

(2) यदि कोई अभिदाता उप नियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नाम-निर्देशित करता है तो, वह प्रत्येक नाम-निर्देशिती को संदेय रकम या उसके अंश का नाम-निर्देशन प्ररूप में इस रीति से विनिर्दिष्ट करेगा, कि खाते में किसी भी समय उसके नाम जमा सम्पूर्ण रकम उसके अंतर्गत समाविष्ट हो जाए।

(3) अभिदाता सचिव को लिखित रूप में सूचना भेजकर किसी भी समय नाम-निर्देशन रद्द कर सकता है। अभिदाता ऐसी सूचना के साथ या अलग से ऐसा नाम-निर्देशन भेजेगा जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया गया है।

(4) अभिदाता नाम-निर्देशन में निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकेगा:

(क) किसी विनिर्दिष्ट नाम-निर्देशिती के संबंध में, अभिदाता से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में नाम-निर्देशिती को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को संक्रांत हो जाएगा जो नाम-निर्देशन में विनिर्दिष्ट किया जाए, परन्तु यह कि ऐसा अन्य व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति, यदि अभिदाता के अपने कुटुंब के अन्य सदस्य हैं तो, वह ऐसा सदस्य होगा या वे ऐसे सदस्य होंगे। जहां अभिदाता इस खण्ड के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसा अधिकार प्रदान करता है, वहां वह ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति को संदेय रकम या उसका अंश ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अंतर्गत वह सम्पूर्ण रकम समाविष्ट हो जाए, जो नामनिर्देशिती को संदेय है।

(ख) यह कि नाम-निर्देशन, उसमें विनिर्दिष्ट किसी आकस्मिकता के घटित होने पर अविधिमान्य हो जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि नाम-निर्देशन करते समय अभिदाता के कुटुम्ब का केवल एक ही सदस्य है तो वह नाम-निर्देशन में यह उपबन्ध करेगा कि खण्ड (क) के अधीन अनुकल्पी नाम-निर्देशिती को प्रदत्त अधिकार उस दशा में अविधिमान्य हो

जाएगा जब बाद में वह अपने कुटुम्ब में किसी अन्य सदस्य या सदस्यों को अर्जित कर लेता है।

(5) ऐसे नाम-निर्देशिनी की मृत्यु पर जिसके बाबत उप नियम (4) के खण्ड (क) के अधीन नाम निर्देशन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है अथवा ऐसी कोई घटना घटित होने पर, जिसके कारण नियम (4) के खण्ड (ख) या उसके परंतुक के अनुसरण में नाम-निर्देशन अविधिमान्य हो जाता है तो अभिदाता नाम-निर्देशन को रद्द करते हुए सचिव को, इस नियम के उपबंधों के अनुसार नए नाम-निर्देशन के साथ लिखित रूप में एक सूचना भेजेगा।

(6) अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नाम-निर्देशन और उसे रद्द किए जाने की दी गई प्रत्येक सूचना, उस सीमा तक, जिस तक वह विधिमान्य है, उस तारीख को प्रभावी हो जाएंगी जिसको वह सचिव को प्राप्त होती है।

15. अभिदाता के खाते - (1) प्रत्येक अभिदाता के नाम एक खाता खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित दर्शित किया जाएगा:-

- (i) उसके अभिदान ;
- (ii) प्राधिकरण द्वारा नियम 18 के अधीन उसके खाते में किए गए अभिदाय ;
- (iii) अभिदानों पर नियम 20 द्वारा यथा उपबंधित ब्याज ;
- (iv) अभिदायों पर नियम 20 द्वारा यथा उपबंधित ब्याज ;
- (v) निधि में से लिए गए अग्रिम और निकाली गई रकमें।

(2) वर्ष की समाप्ति के यथाशीघ्र पश्चात सचिव द्वारा प्रत्येक अभिदाता को उसका एक लेखा विवरण दिया जाएगा, जिसमें उसके खाते में जमा वर्ष के अभिदानों और अभिदायों के आरंभिक अतिरोष और जिसके अंतर्गत उसकी ब्याज भी है उस वर्ष के अभिदान और अभिदाय की रकम, उस वर्ष में उसके खाते में जमा ब्याज और वर्ष के अंत में उसके खाते में जमा अभिदान तथा अभिदायों की कुल राशि तथा उस पर ब्याज दर्शित किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक अभिदाता लेखा विवरण में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेने के पश्चात लेखा विवरण की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर, उस पर सम्यक रूप से हस्ताक्षर करके लेखा विवरण की स्वीकृति सचिव को भेजेगा।

(4) प्रत्येक ऐसे अभिदाता, जिसके संबंध में आयकर नियम, 1962 के अधीन एक विवरणी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, के व्यक्तिगत लेखे का वार्षिक सार संबंधित आयकर अधिकारी को ऐसे प्ररूप में और उन तारीखों के भीतर जो उन नियमों के उपबंधों द्वारा अपेक्षित हों, प्रस्तुत किया जाएगा।

16. अभिदान की शर्तें - प्रत्येक अभिदाता जब वह छुट्टी पर हो या अन्यत्र सेवा पर हो, किन्तु निलम्बन की अवधि के दौरान नहीं, निधि में प्रतिमास अभिदान करेगा:

परन्तु निलम्बन की अवधि समाप्ति के पश्चात पुनर्नियुक्ति पर अभिदाता को उस अवधि के लिए अनुज्ञेय अभिदानों के बकायों की अधिकतम रकम से अनधिक किसी रकम का एकमुश्त या किस्तों में संदाय करने के विकल्प की अनुज्ञा दी जाएगी।

टिप्पण : किसी अभिदाता को डाइज नान के रूप में मानी गई अवधि के दौरान अभिदाय करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) अभिदाता ऐसी छुट्टी के दौरान, जिसमें कोई छुट्टी वेतन न मिलना हो या ऐसा छुट्टी वेतन लेता हो, जो आधे वेतन या आधे औसत वेतन के बराबर या उससे कम हो अभिदान न करने के अपने विकल्प की संसूचना सचिव को एक लिखित में दे सकेगा।

(3) अभिदाता उप नियम (2) में निर्दिष्ट छुट्टी की अवधि के दौरान अभिदान न करने के अपने विकल्प को निम्नलिखित रीति से सूचित करेगा :

(क) यदि वह ऐसा अधिकारी है जोकि अपने बिलों का स्वयं आहरण करता है तो छुट्टी पर जाने के बाद आहरित पहले वेतन बिल में से अभिदान के रूप में कोई कटौती न करके;

(ख) यदि वह ऐसा अधिकारी नहीं है जोकि अपने स्वयं के वेतन बिल आहरित करता है तो उसके छुट्टी पर जाने से पूर्व सचिव के नाम लिखित पत्र भेजकर ;

सम्यक और समय पर सूचना न देने पर यह समझा जाएगा कि उसने अभिदान करने का विकल्प दिया है।

इस उप नियम के अधीन संसूचित अभिदाता का विकल्प अंतिम होगा।

(4) ऐसा कोई अभिदाता जिसने नियम 28 के अधीन निधि में उसके नाम जमा रकम निकाल ली है, ऐसी निकासी के पश्चात निधि में तब तक अभिदान नहीं करेगा जब तक कि वह छुट्टी पर वापस न आ जाए।

(5) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई अभिदाता उस मास जिसमें वह सेवा छोड़ता है, निधि में तब तक कोई अभिदान नहीं करेगा जब तक कि उक्त महीने के आरंभ होने के पूर्व वह लिखित रूप में सचिव को, उक्त मास के लिए अभिदान करने का विकल्प नहीं देता।

17. अभिदान की दरें - (1) अभिदान की रकम, स्वयं अभिदाता द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, नियत की जाएगी, अर्थात् :-

- (क) इसे पूरे रूप्यों में अभिव्यक्त किया जाएगा ;
- (ख) इस प्रकार अभिव्यक्त की गई यह कोई भी रकम हो सकेगी जो इसकी परिलब्धियों के दस प्रतिशत से कम नहीं होगी और उसकी परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी।

(2) उप नियम (1) के प्रयोजन के लिए अभिदाता की परिलब्धियां निम्नानुसार होंगी :

- (क) ऐसे अभिदाता की दशा में, जो पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को प्राधिकरण की सेवा में था, वे परिलब्धियां, जिनके लिए वह उस तारीख को हकदार था:

परन्तु यह कि:-

- (i) यदि अभिदाता उक्त तारीख को छुट्टी पर था और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प किया था, या उक्त तारीख को निलम्बनाधीन था, तो उसकी परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी जिसके लिए वह छुट्टी पर वापस आने के पश्चात पहले दिन को हकदार था ;
- (ii) यदि अभिदाता उक्त तारीख को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उक्त तारीख को छुट्टी पर था और छुट्टी पर ही रहा है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान करने का विकल्प किया है, तो उसकी परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी, जिसके लिए वह तब हकदार होता जब वह भारत में छुट्टी पर रहता ;
- (iii) यदि अभिदाता उक्त तारीख के पश्चातवर्ती किसी तारीख को प्रथम बार निधि में शामिल हुआ है तो उसकी परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी, जिनके लिए वह ऐसी पश्चातवर्ती तारीख को हकदार था ;

(ख) ऐसे अभिदाता की दशा में, जो पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को प्राधिकरण की सेवा में नहीं था, वे परिलब्धियां होंगी, जिनके लिए वह अपनी सेवा के प्रथम दिन हकदार था अथवा यदि वह अपनी सेवा के प्रथम तारीख की पश्चातवर्ती किसी तारीख को प्रथम बार निधि में शामिल हुआ है तो वे परिलब्धियां होंगी जिनके लिए वह ऐसी पश्चातवर्ती तारीख को हकदार था :

परन्तु यदि अभिदाता की परिलब्धियां ऐसी प्रकृति की हैं जो घटती-बढ़ती रहती हैं, तो उनकी गणना ऐसी रीति से की जाएगी जैसा प्राधिकरण निदेश दे।

(3) अभिदाता प्रतिवर्ष अपने मासिक अभिदान की रकम नियत किए जाने की संसूचना निम्नलिखित रीति से देगा, अर्थात्:

- (क) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था तो, ऐसी कटौती द्वारा, जो वह उस मास के अपने वेतन बिल में से, इस निमित्त करवाता है ;
- (ख) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प किया था या वह उस तारीख को निलंबनाधीन था, तो ऐसी कटौती द्वारा, जो वह छुट्टी पर वापस आने के पश्चात अपने प्रथम वेतन बिल में से इस निमित्त करवाता है ;
- (ग) यदि उसने वर्ष के दौरान प्रथम बार प्राधिकरण की सेवा में प्रवेश किया है या प्रथम बार निधि में सम्मिलित होता है, तो ऐसी कटौती द्वारा, जो वह उस मास के, जिसके दौरान वह निधि में शामिल होता है, अपने वेतन बिल में से इस निमित्त करवाता है ;
- (घ) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और छुट्टी पर ही बना रहता है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान करने का विकल्प किया है, ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास के अपने वेतन बिल में से इस निमित्त करवाता है ;
- (ङ) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को अन्यत्र सेवा में था, उस रकम द्वारा, जो उसने चालू वर्ष में अप्रैल मास के लिए अभिदान के मद्दे खजाने में जमा की है ;

(च) यदि उसकी परिलब्धियां उप नियम (2) के परंतुक में निर्दिष्ट प्रकृत की हैं, तो ऐसी रीति से जैसा प्राधिकरण निदेश दे।

(4) इस प्रकार नियत अभिदान की रकम -

- (क) वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार घटाई जा सकेगी ;
- (ख) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाई जा सकेगी ;
- (ग) पूर्वोक्त रीति से घटाई या बढ़ाई जा सकेगी ।

परन्तु जब अभिदान की रकम इस प्रकार घटाई जाती है तो यह उप नियम (1) द्वारा विहित न्यूनतम रकम से कम नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता कैलेंडर मास के भाग में वेतनरहित छुट्टी या अर्ध-वेतन या अर्ध औसत वेतन छुट्टी पर है और यदि उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प किया है, तो ऐसे संदेय अभिदान की रकम ड्यूटी पर बिताए गए दिनों की संख्या के, जिसमें ऊपर निर्दिष्ट प्रकार की छुट्टी से भिन्न छुट्टी, यदि कोई हो, सम्मिलित है, अनुपात में होगी।

18. प्राधिकरण द्वारा अभिदायः (1) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से प्रत्येक अभिदाता के खाते में अभिदाय करेगा :

परन्तु यदि कोई अभिदाता वर्ष के दौरान सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अभिदाय पूर्वगामी वर्ष की समाप्ति और सेवा छोड़ने या मृत्यु हो जाने की तारीख के बीच की अवधि के लिए उसके खाते में जमा किए जाएंगे : परन्तु यह और कि ऐसी किसी अवधि के लिए, जिसके लिए अभिदाता को नियमों के अधीन निधि में अभिदाय न करने की अनुज्ञा दी गई है या वह निधि में अभिदान नहीं करता है, कोई अभिदाय संदेय नहीं होगा।

(2) अभिदाय, यथास्थिति, उस वर्ष या अवधि के दौरान ड्यूटी पर ली गई अभिदाता की परिलब्धियों का 10 प्रतिशत अथवा, यथास्थिति ऐसा प्रतिशत होगा जो भारत सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया है या करे :

परन्तु यदि अभिदान की गई रकम भूल से या अन्यथा नियम 17 के अधीन अभिदाता द्वारा संदेय न्यूनतम अभिदान से कम है और यदि जितना अभिदान कम रह गया है, वह और उस पर प्रोद्भूत ब्याज ऐसे समय के भीतर नहीं दे दिया जाता जो ऐसा अग्रिम जिसे देने के लिए नियम 21 के उप नियम (3) के

अधीन विशेष कारण अपेक्षित हैं, मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, तो प्राधिकरण जब तक किसी विशेष मामले में अन्यथा निदेश न दे, अभिदाता द्वारा वस्तुतः दी गई रकम अथवा प्राधिकरण द्वारा सामान्यतः संदेय रकम के, इनमें से जो भी कम हो, बराबर होगा।

(3) यदि कोई अभिदाता भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर है, तो वह परिलब्धियां जो वह तब लेता जब वह भारत में ड्यूटी पर होता, इस नियम के प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर ली गई परिलब्धियां मानी जाएंगी।

(4) यदि कोई अभिदाता छुट्टी के दौरान अभिदान का विकल्प करता है तो उसका छुट्टी वेतन इस नियम के प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर ली गई परिलब्धियां माना जाएगा।

(5) यदि कोई अभिदाता निलम्बन की किसी अवधि की बाबत अभिदानों के बकायों का संदाय करने का विकल्प करता है तो परिलब्धियों या परिलब्धियों का वह भाग, जो सेवा में पुनःस्थापित होने पर उस अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाए, इस नियम के प्रयोजन के लिए छुट्टी पर ली गई परिलब्धियां समझा जाएगा।

(6) अन्यत्र सेवा की किसी अवधि की बाबत संदेय किसी अभिदाय की रकम, जब तक कि वह अन्यत्र सेवा के नियोजक से वसूल नहीं की गई है, प्राधिकरण द्वारा अभिदाता से वसूल की जाएगी।

(7) अभिदान और अभिदाय की रकम को निकटतम रुपये में (पचास पैसे या अधिक को अगला उच्चतर रुपया गिना जाए) पूर्णांकित किया जाएगा।

19. भारत से बाहर अन्यत्र सेवा के लिए स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति और अभिदानों की वसूली - (1) जब किसी अभिदाता को अन्यत्र सेवा के लिए स्थानांतरण या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, तब वह निधि के नियमों के अध्यधीन उरी रीति में सदस्य बना रहेगा मानो, उसे इस प्रकार स्थानांतरित नहीं किया गया है या प्रतिनियुक्ति पर भेजा नहीं गया है।

(2) जब परिलब्धियां अन्यत्र सेवा या प्रतिनियुक्ति पर ली जाती हैं तो इन परिलब्धियों के मद्दे अभिदानों और अग्रिमों के मूलधन की वसूली परिलब्धियों में से ही की जाएगी।

(3) जब परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से ली जाती हैं तो अभिदाता अपनी देय रकम प्रतिमास सचिव को भेजेगा:

परन्तु किसी ऐसे अभिदाता की दशा में जो सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय में प्रतिनियुक्त पर है, ऐसे निकाय द्वारा अभिदान वसूल किए जाएंगे और सचिव को भेजे जाएंगे।

20. ब्याज - (1) प्राधिकरण, निधि में किसी अभिदाता के नाम उसके खाते में जमा रकम पर ब्याज का ऐसी दर पर संदाय करेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार समय-समय पर साधारण भविष्य निधि के अभिदाता निधी में जमा अभिदानों पर ब्याज का संदाय करने के लिए विनिर्दिष्ट करे।

(2) ब्याज प्रतिवर्ष 31 मार्च से निम्नलिखित रीति में जमा किया जाएगा:

(i) पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को अभिदाता के नाम जमा रकम में से चालू वर्ष के दौरान निकाली गई रकमों को घटाकर शेष रकम पर 12 मास का ब्याज ;

(ii) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई रकमों पर - चालू वर्ष की पहली अप्रैल से लेकर उस मास के, जिसमें रकम निकाली गई थी, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन तक का ब्याज ;

(iii) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च के पश्चात अभिदाता के खाते में जमा सभी रकमों पर - जमा की तारीख से लेकर चालू वर्ष की 31 मार्च तक का ब्याज ;

(iv) ब्याज की कुल रकम नियम 18 के उप नियम (7) में उपबंधित रीति से निकटतम रूप में पूर्णांकित की जाएगी :

परन्तु जब किसी अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय हो गई हो, तब उस पर ब्याज इस नियम के अधीन यथास्थिति केवल चालू वर्ष के आरम्भ से या जमा की तारीख से लेकर उस तारीख तक केवल उस अवधि के लिए जमा किया जाएगा, जिसको अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय हुई थी ।

(3) इस नियम के प्रयोजन के लिए, जमा की तारीख, परिलब्धियों से वसूलियों की दशा में, उस मास का प्रथम दिन मानी जाएगी जिसमें वे वसूल की जाती हैं, और अभिदाता द्वारा भेजी गई रकमों की दशा में, उस मास का प्रथम दिन मानी जाएगी जिसने उन्हें प्राप्त किया है, यदि सचिव ने उन्हें उस मास के पांचवें दिन के पूर्व प्राप्त किया है लेकिन यदि उन्हें उस मास के पांचवें दिन को या उसके पश्चात प्राप्त किया है, तो अगले उत्तरवर्ती मास का प्रथम दिन मानी जाएगी :

परन्तु जहां किसी अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन या भत्तों को लेने में और परिणामतः निधि के प्रति उसके अभिदान की वसूली में विलम्ब हुआ है, तो ऐसे अभिदानों पर ब्याज इन विनियमों के अधीन उस मास में जिसमें अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन देय हो गया था, संदेय होगा भले ही वह वास्तव में किसी भी मास में लिया गया हो :

परन्तु यह और कि नियम 19 के उप नियम (3) के परंतुक के अनुसार भेजी गई रकम की दशा में जमा की तारीख मास का प्रथम दिन मानी जाएगी, यदि वह सचिव द्वारा उस मास के 15वें दिन से पूर्व प्राप्त की जाती है -

परन्तु यह और कि जहां किसी मास की परिलब्धियां उसी मास के अंतिम कार्यदिवस को ली गईं और संवितरित की गईं हैं, वहां जमा की तारीख, उसके अभिदानों की वसूली के मामलों में, उत्तरवर्ती मास का प्रथम दिन मानी जाएगी।

- (4) नियम 32 के अधीन संदाय की जाने वाली किसी रकम के अतिरिक्त उस पर ब्याज उस मास के, जिसमें संदाय किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती मास की समाप्ति तक, अथवा उस मास के पश्चात्, जिसमें वह रकम संदेय हो गई थी, छठे मास की समाप्ति तक, इसमें से जो भी अवधि कम हो, उस व्यक्ति को संदेय होगा, जिसे ऐसी रकम संदत्त की जानी है:

परन्तु कोई ब्याज उस तारीख के पश्चात्, जिसे सचिव ने उस व्यक्ति (या उसके अभिकर्ता) को ऐसी तारीख के रूप में सूचित किया है, जिसको वह नकद संदाय करने के लिए तैयार है, अथवा यदि वह बैंक से संदाय करता है तो उस तारीख के पश्चात् जिसको उस व्यक्ति के नाम का बैंक ड्राक द्वारा भेजा जाता है, किसी अवधि की बाबत संदत्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां कोई अभिदाता सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय में या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वायत्त संगठन में प्रतिनियुक्ति पर है और भूतलक्षी तारीख से ऐसे निगमित निकाय या संगठन में बाद में आमेलित कर लिया जाता है, अभिदाता की निधि के संचयों पर देय ब्याज की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, आमेलन के संबंध में आदेश जारी करने की तारीख अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय होने की तारीख मानी जाएगी, किन्तु यह इस शर्त के अधीन होगा कि आमेलन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आमेलन के आदेशों के जारी किए जाने की तारीख तक की अवधि के दौरान अभिदान के रूप में वसूल की गई रकम, इस उपनियम के अधीन ब्याज देने के प्रयोजन के लिए ही निधि में अभिदान होना मानी जाएगी।

टिप्पण- निधि पर 6 मास की अवधि के परे ब्याज का संदाय निम्न द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा-

(क) एक वर्ष तक की अवधि के लिए, बोर्ड ;

(ख) किसी भी अवधि के लिए प्राधिकरण द्वारा, जब कि यथास्थिति बोर्ड या प्राधिकरण ने यह समाधान कर लिया हो कि संदाय में विलंब ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ है जो, अभिदाता या उस व्यक्ति के जिसे ऐसा संदाय किया जाना था, नियंत्रण से परे थीं और ऐसे प्रत्येक मामले में अंतर्वर्तित प्रशासनिक विलंब का पूर्णतः अन्वेषण किया जाएगा और यदि अपेक्षित हुआ तो, कार्रवाई की जाएगी।

(5) यदि अभिदाता सचिव को यह सूचना देता है कि वह ब्याज नहीं लेना चाहता तो ब्याज उसके खाते में जमा नहीं किया जाएगा ; किंतु यदि वह बाद में ब्याज की मांग करता है तो उसे यह वर्ष की, जिसमें वह मांग करता है, पहली अप्रैल से जमा किया जाएगा।

(6) ऐसी रकमों पर, जो नियम 27 अथवा नियम 28 के अधीन निधि में अभिदाता के नाम फिर से जमा की जानी है, ब्याज ऐसी दरों पर जो इस नियम के उपनियम (1) के अधीन अनुक्रमशः विनिर्दिष्ट है और जहां तक संभव हो इस नियम में विहित रीति से संगणित की जाएगी।

(7) यदि यह पाया जाता है कि अभिदाता ने रकम लेने की तारीख को अपने नाम निधि में जमा रकम से अधिक रकम ले ली है तो अधिक ली गई रकम का इस बात पर विचार किए बिना कि अधिक ली गई रकम निधि में से उधार के या रकम निकालने या अंतिम संदाय के समय ली गई है, उसके द्वारा उसका प्रतिसंदाय उस पर ब्याज सहित एक मुश्त किया जाएगा या व्यतिक्रम होने की स्थिति में, अभिदाता की परिलब्धियों से एकमुश्त कटौती करके वसूली किए जाने का आदेश दिया जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली कुल रकम, अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो उसकी परिलब्धियों के आधे अंश की छोटी मासिक किस्तों में तब तक वसूली की जाएगी जब तक कि ब्याज सहित कुल रकम वसूल नहीं कर ली जाती। इस नियम के लिए अधिक ली गई रकम पर प्रभारित की जाने वाले ब्याज की दर उपनियम (1) के अधीन भविष्य निधि अतिशेष पर सामान्य दर से 2.5 प्रतिशत अधिक होगी। अधिक ली गई रकम पर वसूल की गई ब्याज "ब्याज आय लेखा" में जमा की जाएगी और उसे कर्मचारीवृन्द के फायदे के लिए ऐसी रीति में व्ययन किया जाएगा, जो बोर्ड विनिश्चय करे।

अध्याय III

निधि में से अग्रिम

21. निधि में से अग्रिम - (1) अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट, मंजूरी प्राधिकारी किसी अभिदाता को ऐसा अग्रिम का संदाय किए जाने की, जिसकी संपूर्ण रकम उसके तीन मास के वेतन की रकम से, अथवा निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदानों और उनपर ब्याज की आधा रकम से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक न हो, निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे सकेगा:-

(क) अभिदाता और उसके कुटुंब के सदस्यों या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की रूग्णावस्था, प्रसवावस्था या निःशक्तता के संबंध में व्ययों जिनके अंतर्गत जहां कहीं आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है का संदाय करने के लिए ;

(ख) अभिदाता और उसके कुटुंब के सदस्यों या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की उच्चतर शिक्षा के व्ययों की जिनके अंतर्गत जहां कहीं आवश्यक हो यात्रा व्यय भी है, निम्नलिखित मामलों में पूर्ति के लिए अर्थात:-

- (i) हाई स्कूल स्तर के आगे शैक्षणिक, तकनीकी, वृत्तिक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की भारत से बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और
- (ii) हाई स्कूल स्तर के आगे चिकित्सा संबंधी, इंजीनियरी अथवा अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए, परंतु यह तब जब कि पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम के लिए न हो,

(ग) अभिदाता की प्रास्थिति के उपयुक्त मापमान पर ऐसे बाध्यकर व्ययों का संदाय करने के लिए, जो अभिदाता को रूढ़िगत प्रथा के अनुसार सगाइयों या विवाहों, अन्त्येष्टियों तथा अन्य गृह-धार्मिक क्रमों के सम्बन्ध में उपगत करने पड़ें।

(घ) अभिदाता और उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध लाई गई विधिक कार्यवाहियों का खर्च को पूरा करने के लिए, इस मामले में उपलब्ध अग्रिम, किसी अन्य

सरकारी स्रोत से इसी प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय किसी अग्रिम के अतिरिक्त होगा।

(ड.) अभिदाता की प्रतिरक्षा का खर्च पूरा करने के लिए, जहां वह अपने विरुद्ध किसी अभिकथित शासकीय कदाचार की बाबत जांच में अपनी प्रतिरक्षा के लिए किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त करता है।

(च) टीवी, वीसीआर / वीसीपी, धुलाई मशीन, गैस का चूल्हा, गीजर तथा कम्प्यूटरों आदि जैसा उपभोक्ता उपभोज्य सामग्री क्रय के लिए।

(2) अध्यक्ष, किसी भी अभिदाता को किसी अग्रिम के संदाय की मंजूरी विशेष परिस्थितियों में दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाए कि सम्बन्धित अभिदाता को उप नियम (1) में वर्णित कारणों से भिन्न किसी कारण से अग्रिम की अपेक्षा हों।

(3) किसी अभिदाता को कोई अग्रिम, उप नियम (1) में अधिकथित सीमा से अधिक लेखाबद्ध किए जाने वाले विशेष कारणों के सिवाय या जब तक कि किसी पिछले अग्रिम की अंतिम किस्त का प्रतिसंदाय न कर दिया जाए, मंजूर नहीं किया जाएगा।

परन्तु अग्रिम, किसी भी दशा में निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदानों तथा उन पर देय ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगा।

(4) जब किसी पूर्व अग्रिम की अंतिम किस्त का प्रतिसंदाय होने के पूर्व उप नियम (3) के अधीन कोई अग्रिम मंजूर किया जाता है तब पहले अग्रिम का वसूल न किया गया अतिशेष इस प्रकार मंजूर किए गए अग्रिम में जोड़ दिया जाएगा और वसूली के लिए किस्तें समेकित रकम के निर्देश से नियत की जाएंगी।

(5) अग्रिम मंजूर किए जाने पर, रकम उस दशा में, जहां अंतिम संदाय के लिए आवेदन विनियम 32 के उप नियम (3) के खण्ड (ii) के अधीन सचिव को भेजा गया है, सचिव के प्राधिकार प्राप्त होने पर निकाली जाएगी।

22. अग्रिम की वसूली - (1) किसी अग्रिम की अभिदाता से उतनी समान मासिक किस्तों में वसूली की जाएगी जितनी कि मंजूरी प्राधिकारी निदेश दें; किन्तु किस्तों की ऐसी संख्या 12 से कम जब तक कि अभिदाता वैसा विकल्प न दें और 36 से अधिक नहीं होगी। कोई अभिदाता, अपने विकल्प पर किसी महीने में एक से अधिक किस्त का संदाय कर सकेगा। प्रत्येक किस्त की राशि पूर्ण रूपों में होगी और यदि इस प्रकार की किस्तों को नियत करने के लिए आवश्यक हो तो अग्रिम की रकम को बढ़ाया या घटाया जा सकेगा।

(2) वसूली अभिदानों की वसूली नियम 19 के उप नियम (2) और (3) में विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी और जिस मास में अग्रिम लिया गया है, उससे ठीक पश्चातवर्ती मास का वेतन दिए जाने के साथ-साथ आरम्भ हो जाएगी। वसूली, अभिदाता की सहमति के सिवाय उस दशा में नहीं की जाएगी जब उसे जीवन निर्वाह अनुदान मिल रहा है अथवा वह किसी कैलेंडर मास में दस दिन या उससे अधिक के लिए छुट्टी पर है और छुट्टी की उस अवधि के लिए उसे या तो कोई छुट्टी वेतन नहीं मिल रहा है या यथास्थिति आधे औसत वेतन के बराबर या उससे कम छुट्टी वेतन मिल रहा है। मंजूरी प्राधिकारी अभिदाता को मंजूर किए गए किसी अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान अभिदाता के लिखित अनुरोध पर वसूली को स्थगित कर सकेगा।

(3) यदि किसी अभिदाता को कोई अग्रिम मंजूर किया गया है और उसने अग्रिम ले लिया है और तत्पश्चात अग्रिम को उसका प्रतिसंदाय पूर्ण होने से पूर्व अननुज्ञात कर दिया जाता है तो लिया गया सारा अग्रिम अथवा उसका अतिशेष तत्काल अभिदाता द्वारा निधि में संदत्त कर दिया जाएगा या व्यतिक्रम होने पर सचिव द्वारा यह आदेश किया जाएगा कि उसे अभिदाता की परिलब्धियों में से एकमुश्त अथवा बारह से अनधिक उतनी किस्तों में, जितनी ऐसे अग्रिम को जिसके अनुदान के लिए नियम 21 के उप नियम (2) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित है, मंजूर करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाए, कटौती करके वसूल कर ली जाएगी:

परन्तु, ऐसा अग्रिम अननुज्ञात करने से पूर्व, संसूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अभिदाता को लिखित रूप में मंजूरी प्राधिकारी को यह स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा कि क्यों न प्रतिसंदाय प्रवर्तित किया जाए और यदि 15 दिन की उक्त अवधि के भीतर अभिदाता द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसे अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और यदि उसके द्वारा उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, अग्रिम का प्रतिसंदाय इस उप नियम में विहित रीति से प्रवर्तित किया जाएगा।

(4) इस नियम के अधीन की गई वसूलियां उसी प्रकार अभिदाता की निधि के खाते में जमा की जाएंगी जैसे वे उसके खाते के लिए वसूल की गई हों।

23. अग्रिम का गलत उपयोग -

इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि बोर्ड के पास यह सन्देह करने का कारण है कि नियम 21 के अधीन निधि में से अग्रिम के रूप में लिए गए धन का उपयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिए धन निकालने की मंजूरी दी गई थी, भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किया गया है तो वह अभिदाता को अपने संदेह के कारणों को संसूचित करेगा और उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह लिखित रूप में और ऐसी संसूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर स्पष्ट करे कि क्या अग्रिम का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उसके निकालने की मंजूरी दी गई थी। यदि 15 दिन की उक्त अवधि के भीतर

अभिदाता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से बोर्ड का समाधान नहीं होता है तो मंजूरी प्राधिकारी अभिदाता को निदेश देगा कि वह प्रश्नगत रकम का निधि में तत्काल प्रतिसंदाय करे और ऐसा न करने की स्थिति में वह यह आदेश देगा कि उस रकम को अभिदाता की परिलब्धियों में से, भले ही वह छुट्टी पर हो, एकमुश्त कटौती करके वसूल किया जाए। यदि प्रतिसंदाय की जाने वाली कुल रकम अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो वसूलियां उसकी परिलब्धियों के आधे भाग की छोटी मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक कि उसके द्वारा पूरी रकम प्रतिसंदत्त न कर दी जाए।

टिप्पणी : इस नियम में 'परिलब्धियों' के अधीन जीवननिर्वाह अनुदान शामिल नहीं है।

24. निधि में से रकम निकालना - (1) नियम 21 के उपनियम (2) के अधीन विशेष कारणों से किसी अग्रिम की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं धन निकासियों की मंजूरी दी जा सकेगी -

(अ) अभिदाता की सेवा के (पन्द्रह) वर्ष पूरा हो जाने के पश्चात (जिसके अंतर्गत खंडित सेवा काल, यदि कोई हों, भी हैं) या उसकी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व दस वर्ष के भीतर दोनों में से जो भी पूर्वतर हो, या जहां कोई नियुक्ति संविदा पर नियत अवधि के लिए या अन्यथा है वहां कम से कम एक वर्ष पूरा होने पर वहां अभिदाता निधि में जमा अभिदान तथा उस पर देय ब्याज की रकम में से निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए, अर्थात:-

(क) निम्नलिखित दशाओं में अभिदाता या उसकी किसी संतान के उच्चतर शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए, जिसमें जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी सम्मिलित है, अर्थात:-

(i) हाई स्कूल के प्रक्रम से आगे भारत के बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक सम्बन्धी पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए; और

(ii) हाई स्कूल के पाठ्यक्रम से आगे भारत में किसी चिकित्सीय, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञता सम्बन्धी पाठ्यक्रम के लिए

(ख) अभिदाता या उसके पुत्रों या पुत्रियों या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी अन्य महिला सम्बन्धी के वाग्दान/ विवाह के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति करने के लिए;

- (ग) अभिदाता या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति करने के लिए, जिसमें, जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी सम्मिलित है;
- (घ) टेलीविजन, वीडियो केसिट रिकार्डर, वीडियो केसिट प्लेयर, धुलाई मशीन, गैस का चूल्हा, गीजर तथा कम्प्यूटर आदि जैसी उपभोक्ता वस्तुओं की लागत की पूर्ति करने के लिए।

(आ) किसी अभिदाता के सेवा के दौरान उसकी निधि में जमा अभिदान और उस पर देय ब्याज की राशि में से निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए, अर्थात:-

- (क) अपने निवास के लिए भवन निर्माण के लिए या उपयुक्त मकान अथवा तैयार फ्लैट अर्जित करने के लिए जिसमें स्थल-की लागत अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण, राज्य आवास बोर्ड अथवा किसी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा कोई भू-खण्ड अथवा फ्लैट के आबंटन के मद्दे किया गया कोई संदाय भी है;
- (ख) अपने निवास के लिए भवन निर्माण या उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट अर्जित करने के लिए अभिवक्त रूप से लिए गए उधार मद्दे बकाया रकम को वापस करने के लिए;
- (ग) अभिदाता के पहले से ही स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा पहले से ही अर्जित मकान या किसी फ्लैट के पुनर्निर्माण, वृद्धि या परिवर्तन करने के लिए;
- (घ) कार्यस्थल से भिन्न किसी स्थान पर अभिदाता के पैतृक मकान अथवा कार्यस्थल से भिन्न किसी स्थान पर प्राधिकरण से लिए गए ऋण की सहायता से निर्मित मकान में सुधार करने या उसमें वृद्धि या परिवर्तन करने या उसका अनुक्षण करने के लिए;
- (इ) अधिवर्षिता पर अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व 12 मास के भीतर निधि में उसके नाम में जमा और उस पर देय ब्याज की रकम में से किसी भी प्रयोजन का उल्लेख किए बिना।
- (ई) अभिदाता द्वारा स्व-वित्तपोषण और अभिदायी आधार पर प्राधिकरण कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के मद्दे एक वर्ष में संदाय की गई अभिदान की रकम के बराबर की रकम किसी वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार।

टिप्पण 1: खण्ड (आ) के उप खण्ड (क), (ग) अथवा (घ) के अधीन निकासी की मंजूरी केवल अभिदाता द्वारा संनिर्मित किए जाने वाले मकान का नक्शा या की जाने वाली वृद्धियों अथवा परिवर्तनों का नक्शा उस क्षेत्र के, जहां स्थल या मकान स्थित है, तथा केवल उन दशाओं में जहां वास्तव में अनुमोदन कराना पड़ता हो, स्थानीय नगरपालिक निकाय के सम्यक अनुमोदन सहित प्रस्तुत करने के पश्चात ही दी जाएगी।

टिप्पण 2: खण्ड (आ) के उप खण्ड (ख) के अधीन मंजूर की गई निकासी की रकम आवेदन की तारीख को उप खण्ड (क) के अधीन पूर्व निकासियों की रकम को मिलाकर, जिसमें से पूर्व निकासियों की रकम को घटाने पर अतिशेष की जो राशि होगी, उसके $\frac{3}{4}$ से अधिक नहीं होगी। अनुसरित किया जाने वाला यह सूत्र इस प्रकार है: (उस तारीख को विद्यमान अतिशेष धन संबंधित मकान के लिए पूर्व निकासी जमा निकासियों की रकम) का $\frac{3}{4}$ ऋण पूर्व निकासियों की रकम।

टिप्पण 3: खण्ड (आ) के उप खण्ड (क) अथवा (घ) के अधीन निकासी वहां अनुज्ञात की जाएगी जहां मकान स्थल या मकान पत्नी अथवा पति के नाम में है परन्तु यह तब जब पत्नी या पति अभिदाता द्वारा किए गए नाम-निर्देशन में भविष्य निधि के धन को प्राप्त करने के लिए प्रथम नाम-निर्देशिनी हो।

टिप्पण 4: इस नियम के अधीन उसी प्रयोजन के लिए केवल एक निकासी अनुज्ञात की जाएगी। किन्तु विभिन्न संतानों के विवाह या शिक्षा के लिए या विभिन्न समयों पर बीमारी के लिए या उस क्षेत्र की स्थानीय नगरपालिका द्वारा जहां मकान या फ्लैट स्थित है, सम्यक रूप से अनुमोदित नई निकासी के अनुसार मकान या फ्लैट में वृद्धि या परिवर्तन करने के प्रयोजन को वही प्रयोजन नहीं माना जाएगा। खण्ड (आ) के उप खण्ड (क) अथवा (ख) के अधीन दूसरी या पश्चातवर्ती निकासी उसी मकान को पूरा करने के लिए टिप्पण (2) के अधीन अधिकथित सीमा तक अनुज्ञात की जाएगी।

टिप्पण 5: इस नियम के अधीन कोई निकासी मंजूर नहीं की जाएगी, यदि उसी प्रयोजन के लिए और उसी समय कोई अग्रिम धन नियम 21 के अधीन मंजूर किया जा रहा हो।

(2) जब भी अभिदाता निधि खाते के अपने अन्तिम बार प्राप्त विवरण के संदर्भ से पश्चातवर्ती अभिदार्यों के साक्ष्य सहित, निधि खाते में अपने नाम जमा रकम की बाबत मंजूरी प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो, तो मंजूरी प्राधिकारी विहित सीमाओं

के भीतर वैसी ही मंजूरी स्वयं दे सकेगा जैसी प्रतिदेय अग्रिमों के मामले में देता है। ऐसा करते समय मंजूरी प्राधिकारी अभिदाता के पक्ष में अपने द्वारा पहले मंजूर की गई किसी रकम की निकासी को या प्रतिदेय अग्रिमों को हिसाब में लेगा। तथापि, जहां अभिदाता अपने नाम जमा रकम की बाबत मंजूरी प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में नहीं है या जहां आवेदित रकम की निकासी की अनुज्ञेयता की बाबत कोई सन्देह है, वहां निकासी की रकम की अनुज्ञेयता को अवधारित करने में मंजूरी प्राधिकारी को समर्थ बनाने की दृष्टि से अभिदाता के नाम जमा रकम को सुनिश्चित करने के लिए मामला मंजूरी प्राधिकारी द्वारा सचिव को निर्दिष्ट किया जा सकेगा। निकासी की मंजूरी पर निधि खाता संख्या और लेखा रखने वाले सचिव को स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाना चाहिए और मंजूरी की एक प्रति सदैव सचिव को पृष्ठांकित की जानी चाहिए। मंजूरी प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि सचिव से यह अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली गई है कि निकासी की मंजूरी अभिदाता के बही खाते में नोट कर दी गई है। यदि सचिव यह रिपोर्ट करता है कि मंजूर किया गया अग्रिम अभिदाता के नाम जमा रकम से अधिक है या अन्यथा अनुज्ञेय नहीं है, तो अभिदाता द्वारा निकाली गई रकम निधि में अभिदाता द्वारा एकमुश्त तुरन्त प्रतिसंदत्त की जाएगी और ऐसा न होने पर मंजूरी प्राधिकारी द्वारा यह निदेश दिया जाएगा कि उसे अभिदाता की परिलब्धियों में से एकमुश्त या उतनी मासिक किरतों में, जो अध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाएं, वसूल कर लिया जाए।

(3) रकम की निकासी मंजूर किए जाने पर रकम उन मामलों में जिनमें अन्तिम रूप से संदाय करने के लिए आवेदन नियम 32 के उप नियम (3) के खण्ड (ii) के अधीन सचिव को अग्रेषित किया गया है, सचिव से प्राधिकार मिलने पर निकाली जाएगी।

25. रकम निकासी की शर्तें - (1) निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम में से उसके द्वारा किसी भी एक समय नियम 24 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए निकाली गई कोई रकम सामान्यतः निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम के आधे से, अथवा छः मास के वेतन से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी। तथापि मंजूरी प्राधिकारी इस सीमा से अधिक नियम 24 के उप नियम (1) के उप खंड (अ) के अधीन निकासी की दशा में तीन-चौथाई तक और नियम खंड (आ) के अधीन निकासी की दशा में 90 प्रतिशत रकम निकालने की मंजूरी निम्नलिखित का सम्यक ध्यान रखते हुए दे सकेगा:

- (i) वह उद्देश्य जिसके लिए धन निकाला जा रहा है;
- (ii) अभिदाता की प्रास्थिति; और
- (iii) निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदान और उन पर ब्याज की रकम;

परन्तु नियम 24 के उप नियम (1) के खण्ड (आ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रत्याहृत की जाने वाली अधिकतम राशि गृह निर्माण प्रयोजनों की बाबत अग्रिम की मंजूरी के लिए शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की योजना के नियम 2 (क) तथा 3 (ख) के अधीन समय-समय पर विहित अधिकतम सीमा से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि किसी ऐसे अभिदाता की दशा में जिसने स्वयं भवन निर्माण प्रयोजनों की बाबत मंजूरी के लिए शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की योजना के अधीन कोई अग्रिम लिया है या जिसे किसी अन्य सरकारी स्रोत से इस बारे में कोई सहायता अनुज्ञात की गई है, इस उप नियम के अधीन प्रत्याहृत की गई राशि पूर्वोक्त स्कीम के अधीन ली गई अग्रिम की रकम सहित अथवा किसी अन्य सरकारी स्रोत से दी गई सहायता की राशि मिलकर उपर्युक्त स्कीम के नियम 2 (क) तथा 3 (ख) के अधीन समय-समय पर विहित की गई अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह भी कि नियम 24 के उप नियम (1) के खण्ड (इ) के अधीन अनुज्ञेय निकासी निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदाय और ब्याज की राशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 1- नियम 24 के उप नियम (1) के खण्ड (अ) के उप खण्ड (क) के अधीन अभिदाता को मंजूर की गई निकासी की रकम किस्तों में निकाली जा सकती जिनकी संख्या मंजूरी की तारीख से गिने जाने वाले 12 कैलेंडर मास की अवधि में चार से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 - उन दशाओं में, जिनमें अभिदाता को क्रय किए गए किसी स्थल या मकान या फ्लैट के लिए अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी राज्य आवास बोर्ड अथवा गृह निर्माण सहकारी समिति की मार्फत संनिर्मित किसी गृह या फ्लैट के लिए किस्तों में संदाय करना पड़ता है, जब कभी उससे किसी किस्त के संदाय की अपेक्षा की जाए, तब धन निकालने की अनुज्ञा दी जाएगी। ऐसा प्रत्येक संदाय नियम 25 के उप नियम (1) के प्रयोजनों के लिए पृथक प्रयोजन के लिए संदाय माना जाएगा।

(2) ऐसा अभिदाता जिसे नियम 24 के अधीन निधि में से धन निकासी की अनुज्ञा दी गई है, युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो मंजूरी प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे, मंजूरी प्राधिकारी का यह समाधान करेगा कि जिस प्रयोजन के लिए धन निकाला गया था, उसका प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो इस प्रकार निकाला गया सम्पूर्ण धन या उसका वह भाग, जो उन प्रयोजनों के लिए, जिसके लिए उसे निकाला गया था, उपयोग में नहीं लाया गया है, अभिदाता द्वारा एकमुश्त

प्रतिसंदत्त किया जाएगा और ऐसा संदाय करने में चूक होने पर मंजूरी प्राधिकारी यह आदेश करेगा कि निकाली गई रकम और ब्याज एकमुश्त अथवा उतनी मासिक किस्तों में जितनी प्राधिकरण निर्देश दे, अभिदाता की परिलब्धियों में से कटौती करके वसूल की जाए:

परन्तु यह कि इस उप नियम के अधीन निकाले गए धन का प्रतिसंदाय प्रवर्तित किए जाने के पूर्व अभिदाता को लिखित रूप में और संसूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर यह स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा कि प्रतिसंदाय क्यों नहीं प्रवर्तित किया जाए और यदि मंजूरी प्राधिकारी का स्पष्टीकरण से समाधान नहीं होता है या अभिदाता द्वारा 15 दिनों की उक्त अवधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो मंजूरी प्राधिकारी इस उप नियम में विहित रीति से प्रतिसंदाय प्रवर्तित कराएगा।

- (3) (क) कोई अभिदाता जिसे, नियम 24 के उप नियम (1) के खण्ड (आ) के उप खण्ड (क), उप खण्ड (ख) अथवा उप खण्ड (ग) के अधीन निधि में उसके नाम जमा अभिदान और ब्याज में से धन निकलाने की अनुज्ञा दी गई है, इस प्रकार निकाले गए धन से बनाए गए या अर्जित किए गए गृह या क्रय किए गए स्थल का कब्जा प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा के बिना विक्रय, बंधक, उपहार, विनिमय या अन्य किसी प्रकार से विलग नहीं करेगा:

परन्तु ऐसी अनुज्ञा निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं होगी, -

(i) किसी गृह अथवा गृह स्थल को तीन वर्षों से अनधिक की किसी अवधि के लिए पट्टे पर देना; अथवा

(ii) किसी आवास बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम के पक्ष में, जो नया गृह संनिर्माण करने के लिए या विद्यमान गृह में परिवर्तन या परिवर्धन करने के लिए ऋण देता है, उसे बंधक रखा गया है।

(ख) अभिदाता प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक उसके बाद नहीं एक ऐसी घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यथास्थिति गृह या गृह स्थल यथापूर्वोक्त उसके कब्जे में बना हुआ है या उसे पूर्वोक्त बंधक रखा गया है या अन्यथा अंतरित किया गया है या किराए पर दिया गया है और यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह उस विक्रय, बंधक या पट्टे के मूल विलेख को और ऐसे दस्तावेजों को भी जिन पर सम्पत्ति के लिए उसका हक आधारित है, इस निमित्त मंजूरी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व उस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ग) यदि अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व किसी समय, अभिदाता प्राधिकरण के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना गृह या गृह स्थल का कब्जा विलग कर देता है तो वह निधि में से अपने द्वारा इस प्रकार निकाली गई रकम तुरन्त निधि में एकमुश्त प्रतिसंदत्त करेगा और ऐसे प्रतिसंदाय में चूक होने पर मंजूरी प्राधिकारी उस मामले में अभ्यावेदन करने के लिए अभिदाता को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उक्त रकम को अभिदाता की उपलब्धियों में से या तो एकमुश्त या उतनी मासिक किस्तों में, जितनी वह अवधारित करे, वसूल करवा लेगा।

(4) उसी प्रयोजन के लिए अग्रिम और अंतिम निकासी एक साथ मंजूर नहीं की जाएंगी।

स्पष्टीकरण- इस उप नियम के प्रयोजन के लिए 'सगाई की रस्म' तथा 'विवाह' अलग-अलग माना जाएगा और दोनों अवसरों पर पृथक-पृथक निकासी अनुज्ञेय हैं।

(5) उसी या किसी अन्य स्थान पर एक से अधिक मकान के लिए निकासी की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(6) (i) घर के रखरखाव आदि के लिए निकासी के मामले में, निकासी इस शर्त के अधीन रहते हुए स्वीकार किया जा सकता है कि अभिदाता इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि कार्य की वे मर्दे जिन्हें वह कराना चाहता है, उनके लिए किसी स्थानीय अथवा नगरपालिक प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है; और

(ii) उस दशा में जहां पैतृक घर, अभिदाता के नाम अंतरित नहीं किया गया है अभिदाता द्वारा इस आशय का सबूत प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए कि वह उस सम्पत्ति का एक भाग प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारियों या नामनिर्देशितियों में से एक है, निकासी अनुज्ञेय है।

(7) अध्ययन के जिन पाठ्यक्रमों के लिए नियम 21 या नियम 24 के अधीन अग्रिमों/निकासियों की मंजूरी दी जा सकती है, वे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। प्राधिकरण ऐसे पाठ्यक्रमों की एक सूची रखेगा और अपने स्वविवेकानुसार समय-समय पर उनकी समीक्षा करेगा।

26. किसी अग्रिम का निकासी में संपरिवर्तन - कोई भी अभिदाता, जिसने नियम 24 के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट किन्हीं प्रयोजनों के लिए नियम 21 के अधीन पहले ही कोई

अग्रिम लिया है या भविष्य में ले सकता है, नियम 24 और 25 में विनिर्दिष्ट शर्तों का समाधान करते हुए स्वविवेकानुसार सचिव को सम्बोधित अपने लिखित अनुरोध द्वारा उस अग्रिम के सम्बन्ध में अपने बकाया अतिशेष को अंतिम निकासी में संपरिवर्तित करा सकेगा।

टिप्पण 1- नियम 25 के उप नियम (1) के प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन के समय खाते में अभिदाता के नाम जमा अभिदान की, उस पर ब्याज सहित रकम तथा अग्रिम की बकाया रकम को अतिशेष के रूप में लिया जाएगा। प्रत्येक निकासी को पृथक-पृथक माना जाएगा और वही सिद्धान्त एक से अधिक संपरिवर्तनों की दशा में लागू होगा।

27. निधि में से संचयों की अंतिम निकासी - जब कोई अभिदाता सेवा छोड़ देता है, तब निधि में उसके नाम जमा रकम, नियम 31 के अधीन किसी कटौती के अध्याधीन उसे संदेय हो जाएगी:

परन्तु ऐसा कोई अभिदाता, जिसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और उसके बाद उसे सेवा में पुनःस्थापित कर दिया गया है, यदि प्राधिकरण द्वारा उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाए तो इस नियम के अनुसरण में निधि से उसे संदत्त की गई कोई भी रकम नियम 20 में उपबंधित दर से उस पर ब्याज सहित नियम 28 के परंतुक में विनिर्दिष्ट रीति में प्रतिसंदत्त कर देगा। इस प्रकार प्रतिसंदत्त की गई रकम निधि में उसके खाते में जमा की जाएगी, वह भाग, जो उसके अभिदानों और उन पर ब्याज के रूप में है और वह भाग जो प्राधिकरण के अभिदाय का, उस पर ब्याज सहित के रूप में है, नियम 15 में विनिर्दिष्ट रीति में लेखे में लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 - ऐसे किसी अभिदाता के बारे में, जो संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति से या ऐसे व्यक्ति से जो सेवा निवृत्त हो गया है और बाद में उसे, सेवाभंग सहित या रहित पुनर्नियुक्त किया गया है, भिन्न है, यह नहीं समझा जाएगा कि उसने सेवा छोड़ दी है, यदि उसे सेवा में भंग के बिना केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग में किसी नए पद पर (जहां वह अन्य भविष्य निधि नियमों में शासित होता है), अपने पूर्व पद के साथ कोई सम्बन्ध रखे बिना अंतरित कर दिया जाता है। ऐसे किसी मामले में उसका अभिदान और प्राधिकरण का अभिदाय उन पर ब्याज सहित-

(क) यदि नया पद केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में है तो किसी अन्य निधि में उसके खाते में, उस निधि के नियमों के अनुसार अंतरित कर दिया जाएगा। अथवा

(ख) यदि नया पद राज्य सरकार के अधीन है और वह राज्य सरकार उसके अभिदानों, प्राधिकरण के अभिदाय और ब्याज के ऐसे अंतरण के लिए, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, सहमति दे, संबद्ध राज्य सरकार के अधीन किसी नए खाते में अंतरित कर दिया जाएगा,

टिप्पण - स्थानान्तरण के अंतर्गत सेवा से पदत्याग के ऐसे मामले भी हैं, जब पदत्याग किसी सेवाभंग के बिना और प्राधिकरण की समुचित अनुज्ञा से या तो केन्द्रीय सरकार के या राज्य सरकार के अधीन कोई नियुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसे मामलों में, जिसमें सेवा में कोई भंग आया है, यह कार्यग्रहण की अवधि तक सीमित किसी भिन्न स्थान को स्थानान्तरण पर अनुज्ञात होगी।

यही बात छंटनी के ऐसी दशा में भी लागू होगी, जिनमें तत्पश्चात् तुरन्त बाद उसी अथवा भिन्न सरकार के अधीन नियोजन दिया जाता है।

स्पष्टीकरण II: जब कोई अभिदाता, जो संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति से या ऐसे व्यक्ति से जिसे सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् सेवा में पुनः नियुक्त किया गया है भिन्न है, सेवाभंग के बिना, सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगमित निकाय के अधीन या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वायत्त संगठन के अधीन स्थानान्तरित कर दिया जाता है, तब अभिदानों की रकम और प्राधिकरण के अभिदाय, उस पर ब्याज सहित, उसे संदत्त नहीं किये जाएंगे, किन्तु उस निकाय की सहमति से, उस निकाय के अधीन उसके नए भविष्य निधि खाते में अंतरित कर दिया जाएंगे।

स्थानान्तरण के अंतर्गत सेवा से पदत्याग के ऐसे मामले भी हैं, जहां पदत्याग सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगमित निकाय के अधीन अथवा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वायत्त संगठन के अधीन नियुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी सेवाभंग के बिना और प्राधिकरण की समुचित अनुज्ञा से किया जाता है। नए पद पर कार्यग्रहण करने के लिए लिया गया समय तब सेवा में भंग नहीं माना जाएगा जब वह किसी अन्य पद पर हुए स्थानान्तरण पर अभिदाता को अनुज्ञेय कार्यग्रहण अवधि से अधिक न हो:

परन्तु किसी लोक उद्यम के अधीन सेवा के लिए विकल्प देने वाले किसी अभिदाता के अभिदानों और प्राधिकरण के अभिदाय की, उन पर ब्याज सहित रकम, यदि वह ऐसी ईच्छा जाहिर करता है तो, उद्यम के अधीन उसके नए

भविष्य निधि खाते में अंतरित कर दी जाएगी, यदि संबंधित उद्यम भी ऐसे अंतरण के लिए सहमत हो। तथापि, यदि, अभिदाता अंतरण नहीं चाहता है या सम्बन्धित उपक्रम भविष्य निधि प्रचालित नहीं करता है तो, पूर्वोक्त रकम अभिदाता को वापस कर दी जाएगी।

28. अभिदाता की सेवानिवृत्ति - जब कोई अभिदाता -

(क) सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी पर चला गया है अथवा यदि वह किसी दीर्घावकाश विभाग में दीर्घावकाश के साथ सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी जोड़कर नियुक्त कर लिया गया है अथवा,

(ख) जिसे छुट्टी पर रहते हुए सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दे दी गई है अथवा किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी ने और सेवा के लिए अयोग्य होना घोषित कर दिया है,

तब निधि में उसके नाम जमा अभिदानों और उस पर ब्याज की रकम उस निमित्त सचिव को उसके द्वारा आवेदन किए जाने पर, अभिदाता को संदेय हो जाएगी:

परन्तु यदि अभिदाता छुट्टी से वापस आ जाता है, तो वह, वहां के सिवाय जहां प्राधिकरण अन्यथा विनिश्चय करे, अपने खाते में जमा किए जाने के लिए वह रकम जो उसे इस नियम के अनुसार निधि में से संदत्त की गई है, नियम 20 में उपबंधित दर से उस पर ब्याज सहित नकद अथवा प्रतिभूतियों में, अथवा अंशतः नकद और अंशतः प्रतिभूतियों में, किस्तों में या अन्यथा, उसकी उपलब्धियों में से वसूल करके या अन्य प्रकार से, जैसा उस अग्रिम की, जिसके अनुदान के लिए नियम 21 के उपनियम (2) के अधीन विशेष कारणों की अपेक्षा हो, मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी निदेश दे, निधि में प्रतिसंदाय करेगा।

29. अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया - नियम 31 के अधीन किसी कटौती के अधीन रहते हुए, अभिदाता के नाम जमा रकम के संदेय हो जाने के पूर्व, अथवा यदि रकम संदेय हो गई है तो संदाय किए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने पर:

(i) जब अभिदाता कोई कुटुम्ब छोड़ता है, तब

(क) यदि नियम 14 के उपबंधों के अनुसार अभिदाता द्वारा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में किया गया कोई नाम-निर्देशन विद्यमान है, तो निधि में उसके नाम जमा रकम या उसका वह भाग, जिससे

नाम-निर्देशन संबंधित है, उसके नाम-निर्देशिनी या नाम-निर्देशितियों को नाम-निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में संदेय हो जाएगा;

(ख) यदि अभिदाता के कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नाम-निर्देशन विद्यमान नहीं है, अथवा यदि ऐसे नाम-निर्देशन का सम्बन्ध निधि में उसके नाम जमा रकम के किसी एक भाग से है, तो यथास्थिति, सारी रकम अथवा उसका वह भाग जिससे नाम-निर्देशन का सम्बन्ध नहीं है, उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम में तात्पर्यित किसी नाम-निर्देशन के होते हुए भी, उसके कुटुम्ब के सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में संदेय हो जाएगा:

परन्तु यदि खण्ड (1), (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब के सदस्यों से भिन्न कोई सदस्य विद्यमान है, तो कोई अंश निम्नलिखित को संदेय नहीं होगा:

- (1) वे पुत्र, जिन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है;
- (2) मृतक पुत्र के वे पुत्र, जिन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है;
- (3) विवाहित पुत्रियां, जिनके पति जीवित हैं;
- (4) मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियां, जिनके पति जीवित हैं;

परन्तु यह और कि मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं और संतान या संतानें अपने बीच अकेला वही अंश, बराबर-बराबर भागों में, प्राप्त करेंगी जो अंश उस पुत्र ने तब प्राप्त किया होता जब वह अभिदाता का उत्तरजीवी होता और उसे प्रथम परंतुक के खण्ड (1) के उपबंधों के अधीन किसी भाग से अपविर्जित किया गया होता ।

(ii) जब अभिदाता कोई कुटुम्ब नहीं छोड़ता है, और नियम 14 के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में कोई नाम-निर्देशन विद्यमान है, तो निधि में अथवा उसके भाग में जिसके साथ नाम-निर्देशन का सम्बन्ध है, जमा रकम नाम-निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नाम-निर्देशिनी अथवा नाम-निर्देशितियों को संदेय हो जाएगी।

30. पदच्युति, त्याग-पत्र तथा सेवा की समाप्ति - (1) यदि किसी अभिदाता को, उसकी किसी त्रुटि के कारण या किसी अन्य ऐसे कारण से जिससे उसकी पदच्युति न्यायोचित ठहरती हो, पदच्युत कर दिया जाता है, तो जब तक कि न्यासियों द्वारा उसे ऐसा करने की अनुज्ञा न दी गई हो, वह उसके भविष्य निधि खाते में प्राधिकरण द्वारा अभिदत्त रकमों या

इस प्रकार उस खाते में अभिदत्त रकमों के मद्दे जमा ब्याज प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा:

परन्तु जब किसी अभिदाता को इस प्रकार पदच्युत किया जाता है तो अभिदाता द्वारा प्राधिकरण को उपगत किसी दायित्व के अधीन कोई देय राशि (जो किसी भी दशा में प्राधिकरण द्वारा किए गए अभिदाय और उस पर ब्याज से अधिक नहीं होगी) बोर्ड द्वारा अभिदाता के नाम खाते में जमा राशि में से संदत्त जाएगी।

(2) जब कोई ऐसा अभिदाता, जिसे प्राधिकरण द्वारा अपने संवर्गों में नियुक्त किया गया है, त्याग-पत्र दे देता है अथवा प्राधिकरण की सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, तो यदि उसने प्राधिकरण में पांच वर्ष या इससे अधिक समय तक सेवा की हो अथवा यदि उसे संविदा के अधीन एक नियत अवधि के लिए नियुक्त किया गया हो अथवा किसी संविधि के अधीन एक नियत अवधि के लिए नियुक्त किया गया हो और उसने एक वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक प्राधिकरण की सेवा की हो, तो वह निधि में उसके नाम जमा शेष राशि प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु जब त्याग-पत्र देने वाला अथवा प्राधिकरण की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाला कोई अभिदाता उसके द्वारा प्राधिकरण को उपगत किसी दायित्व के अधीन हो, तो न्यासी, अभिदाता की सेवा की अवधि को विचार में लाए बिना, निधि में उसके नाम जमा शेष राशि में से प्राधिकरण को देय कोई भी राशि उसे संदत्त कर देगा (जो किसी भी दशा में निधि में उसके खाते में प्राधिकरण द्वारा किए गए ऐसे अभिदाय और इस प्रकार अभिदाय की रकमों पर उसके खाते में जमा ब्याज से अधिक नहीं होगी)।

(3) यदि कोई अभिदाता, यथास्थिति उप नियम (2) के अनुसार, संविदा पर नियुक्ति से भिन्न किसी अन्य नियुक्ति की दशा में प्राधिकरण में पांच वर्ष की सेवा करने से पूर्व अथवा संविदा पर नियुक्ति की दशा में एक वर्ष की सेवा करने से पूर्व प्राधिकरण की सेवा में नहीं रहता है, तो वह उस तारीख को जिसको प्राधिकरण से सम्बन्ध तोड़ देता है, केवल निधि में अपने अभिदानों की राशि और उस पर जमा की गई ब्याज की राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

(4) कोई भी अभिदाता, निधि में प्राधिकरण के अभिदाय के किसी अंश को पाने का तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसने उप नियम (2) के अनुसार संविदा पर नियुक्ति से भिन्न किसी नियुक्ति की दशा में प्राधिकरण में पांच वर्ष की अवधि तक अथवा संविदा पर नियुक्ति की दशा में एक वर्ष की अवधि तक सेवा न की हो, इस बात के होते हुए भी कि ही उसका कोई अंश निधि की बहियों में उसके नाम जमा करा दिया गया हो किन्तु न्यासी अपने पूर्णतः विवेकाधीन ऐसे संदाय को प्राधिकृत कर सकेंगे, यदि किसी अभिदाता

को किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण से बाहर है, पांच वर्ष की सेवा पूरी करने से पूर्व सेवानिवृत्त होने के लिए विवश होना पडा है ।

31. कटौतियां - इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसी कोई भी कटौती नहीं की जाएगी जिससे कि निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम का उस निधि में से संदाय किए जाने से पूर्व उसमें नियम 18 और 20 के अधीन जमा प्राधिकरण के किसी अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम से अधिक रकम निकल जाए,

(अ) प्राधिकरण के अध्यक्ष यह निदेश दे सकेंगे कि-

(i) यदि अभिदाता को कदाचार, दिवाले या अक्षमता के कारण सेवा से पदच्युत किया गया है तो उन सभी रकमों की, जो ऐसे अभिदाय और ब्याज के रूप में हैं, उसमें से कटौती करके प्राधिकरण को संदाय किया जाए:

परन्तु जहां अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी कटौती से अभिदाता को असाधारण कष्ट होगा, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी कटौती में से उस अभिदान और ब्याज की रकम के, जो अभिदाता को उस दशा में संदेय होती जब वह अस्वस्थता के आधार पर से सेवानिवृत्त हुआ होता, दो-तिहाई से अनधिक रकम तक की छूट दे सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि पदच्युति का कोई ऐसा आदेश बाद में रद्द कर दिया जाता है तो इस प्रकार कटौती की गई रकम, सेवा में उसके पुनःस्थापित किए जाने पर निधि में उसके नाम फिर से जमा कर दी जाएगी।

(ii) यदि अभिदाता, उस रूप में अपनी सेवा के आरम्भ से पांच वर्ष के भीतर अथवा यदि उसे एक नियत अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया है अथवा किसी संविधि के अधीन एक नियत अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, तो ऐसी सेवा आरम्भ करने से एक वर्ष के भीतर सेवा से त्याग-पत्र दे देता है या मृत्यु या अधिवर्षिता से अथवा किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यह घोषित किए जाने से कि वह आगे सेवा करने के अयोग्य है अथवा पद समाप्त किए जाने अथवा स्थापना में कमी कर देने से भिन्न किसी कारण से प्राधिकरण का कर्मचारी नहीं रह जाता, तो उन सभी रकमों का, जो ऐसी अभिदान और ब्याज के रूप में हैं, उसमें से कटौती करके प्राधिकरण को संदाय किया जाए।

(आ) अध्यक्ष यह निदेश दे सकेंगे कि अभिदाता द्वारा प्राधिकरण के प्रति उपगत किसी दायित्व के अधीन देय किसी रकम की उसमें से कटौती करके प्राधिकरण को संदाय किया जाए।

32. निधि में से रकम का संदाय करने की रीति- (1) जब निधि में अभिदाता के नाम जमा कोई रकम, अथवा नियम 31 के अधीन की गई कटौती के पश्चात बचा उसका अतिशेष संदेय हो जाता है, तब सचिव का, अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात कि जब उस नियम के अधीन ऐसी कोई कटौती करने का निदेश न दिया गया हो, तब कोई भी कटौती नहीं की जानी है, यह कर्तव्य होगा कि वह इस निमित्त उप नियम (3) में यथाउपबंधित संदाय करे।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन, कोई रकम संदत्त, समनुदिष्ट, पुनः समनुदिष्ट या परिदत्त की जानी है, ऐसा पागल है जिसकी सम्पदा के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अधीन इस निमित्त कोई प्रबंधक नियुक्त किया गया है, तो संदाय या पुनः समनुदेशन या परिदान ऐसे प्रबंधक को ही किया जाएगा, न कि पागल को:

परन्तु जहां कोई प्रबंधक नियुक्त नहीं किया गया है और जिस व्यक्ति को रकम संदेय है, उसका किसी मजिस्ट्रेट ने पागल होना प्रमाणित किया है, तो कलेक्टर के आदेशों के अधीन संदाय, भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की धारा 95 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार उस व्यक्ति को किया जाएगा, जिसके भारसाधन में ऐसा पागल है, और सचिव पागल के भारसाधक व्यक्ति को उतनी ही रकम का संदाय करेगा जितनी वह ठीक समझे और अधिशेष यदि कोई है, तो ऐसा अधिशेष अथवा उसका ऐसा भाग, जिसे वह ठीक समझे, पागल के कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों के भरण-पोषण के लिए दिया जाएगा, जो भरण-पोषण के लिए उस पर आश्रित हैं।

(3) निकाली गई रकमों का संदाय केवल भारत में ही किया जाएगा। वे व्यक्ति जिन्हें रकमें संदेय हैं, वे भारत में संदाय प्राप्त करने के अपने प्रबंध स्वयं करेंगे। अभिदाता द्वारा संदाय का दावा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थातः

(i) अभिदाता को निधि में से रकम की निकासी के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समर्थ बनाने के लिए स्थितिअनुसार प्राधिकरण का ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशासन और विधि) प्रत्येक अभिदाता को आवश्यक प्ररूप या तों उस तारीख से जिसको अभिदाता अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करता है एक वर्ष पूर्व या उसकी प्रत्याशित सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व यदि पूर्वतर हो, इन अनुदेशों के साथ भेजेगा कि अभिदाता द्वारा उन्हें सम्यक रूप से भरकर प्रारूपों की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर लौटा दिया

जाना चाहिए। अभिदाता निधि में से रकम के संदाय के लिए आवेदन प्राधिकरण के ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशासन और विधि) के माध्यम से बोर्ड के सचिव को प्रस्तुत करेगा। आवेदन -

(अ) उसकी अधिवर्षिता की तारीख या उसकी सेवानिवृत्ति की प्रत्याशित तारीख के एक वर्ष पूर्व समाप्त होने वाले वर्ष के लेखा विवरण में यथाउपदर्शित निधि में उसके नाम जमा रकम के लिए या

(आ) ऐसी दशा में जब अभिदाता ने लेखा विवरण प्राप्त न किया हो, उसके खाता लेखे में उपदर्शित रकम के लिए, किया जाएगा।

(ii) प्राधिकरण के ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशासन तथा विधि) आवेदन को सचिव को अग्रेषित करेंगे जिसमें उन अग्रिमों के प्रति जो अभी भी चालू हैं, की जाने वाली वसूलियों और उन किस्तों की संख्या जिनकी वसूली अभी की जानी है उपदर्शित की जाएगी, और इसमें सचिव द्वारा भेजी गई अभिदाता की पिछले लेखा विवरण में समाविष्ट अवधि के पश्चात् अभिदाता द्वारा ली गई रकम की निकासियां यदि कोई हो, भी उपदर्शित की जाएंगी।

(iii) सचिव, खाता लेखा के सत्यापन करने के पश्चात्, आवेदन में उपदर्शित रकम के लिए अधिवर्षिता की तारीख से कम से कम एक मास पूर्व एक प्राधिकार जारी करेगा किन्तु वह अधिवर्षिता की तारीख पर संदेय होगा।

(iv) खण्ड (iii) में वर्णित प्राधिकार संदाय की प्रथम किस्त होगी। संदाय के लिए द्वितीय प्राधिकार अधिवर्षिता के पश्चात् यथासंभव शीघ्र जारी किया जाएगा। इसका सम्बन्ध खण्ड (i) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन में वर्णित रकम के पश्चात् अभिदाता द्वारा किए गए अभिदानों और उन अग्रिमों के प्रति किस्तों के जो प्रथम आवेदन के समय चालू थी, प्रतिदाय से होगा।

(v) अंतिम रूप से संदाय किए जाने के लिए सचिव को आवेदन अग्रेषित करने के पश्चात्, अग्रिम रकम निकासी की मंजूरी दी जा सकेगी किन्तु अग्रिम या निकासी की रकम सचिव से प्राधिकार मिलने पर निकाली जाएगी जो इसकी व्यवस्था, वह मंजूरी प्राधिकारी से औपचारिक मंजूरी प्राप्त होते ही करेगा।

33. निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम - अभिदाता की मृत्यु पर, अभिदाता के नाम जमा रकम प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को, सचिव द्वारा ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक

पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान उसके खाते में अभिदान की रकम और उस पर ब्याज सहित औसत अतिशेष के समतुल्य अतिरिक्त रकम का संदाय निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात्:

- (क) ऐसे अभिदाता के नाम जमा अभिदानों का अतिशेष उस पर ब्याज सहित उसकी मृत्यु के मास के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान, किसी भी समय निम्नलिखित राशियों की सीमा से कम नहीं होना चाहिए-
- (i) ऐसे अभिदाता की दशा में, जिसने उपरोक्त तीन वर्ष की अवधि के अधिकतर भाग में, ऐसा पद धारण किया है, जिसके वेतनमान का अधिकतम 4000 रुपए या अधिक है, 12000 रुपए ;
- (ii) ऐसे अभिदाता की दशा में, जिसने उपरोक्त तीन वर्ष की अवधि के अधिकतर भाग में, ऐसा पद धारण किया है, जिसके वेतनमान का अधिकतम 2900 रुपए या उससे अधिक है, किन्तु 4000 रुपए से कम है, 7500 रुपए;
- (iii) ऐसे अभिदाता की दशा में, जिसने उपरोक्त तीन वर्ष की अवधि के अधिकतर भाग में, ऐसा पद धारण किया है, जिसके वेतनमान का अधिकतम 1151 रुपए या उससे अधिक है, किन्तु 2900 रुपए से कम है, 4500 रुपए;
- (iv) ऐसे अभिदाता के मामले में, जिसने उपरोक्त तीन वर्ष की अवधि के अधिकतर भाग में, ऐसा पद धारण किया है, जिसके वेतनमान का अधिकतम 1151 रुपए से कम है, 3000 रुपए ।
- (ख) इस नियम के अधीन संदेय अतिरिक्त रकम 30000 रुपए से अधिक नहीं होगी।
- (ग) अभिदाता की मृत्यु के समय तक उसकी कम से कम पांच वर्ष की सेवा होनी चाहिए।

टिप्पण 1 - औसत अतिशेष उस मास के जिसमें अभिदाता की मृत्यु होती है, पूर्ववर्ती 36 मास में से प्रत्येक के अंत में अभिदाता के नाम जमा अतिशेष के आधार पर निकाला जाएगा। इस प्रयोजन के लिए ऊपर विहित न्यूनतम अतिशेषों की जांच करने के लिए भी-

(क) मार्च के अंत के अतिशेष में नियम 17 के अनुसार जमा खाते किए गए अभिदानों पर वार्षिक ब्याज सम्मिलित होगा ; और

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मास में से अंतिम मास मार्च नहीं है, तो उक्त अंतिम मास के अंत के अतिशेष में, उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, जिसमें मृत्यु हुई है, उक्त अंतिम मास के अंत तक की अवधि की बाबत अभिदानों पर ब्याज सम्मिलित होगा।

टिप्पणी 2 - नियत अवधि के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की दशा में और पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों की दशा में, यथास्थिति, केवल ऐसी नियुक्तियां या ऐसे पुनर्नियोजन की तारीख से की गई सेवा इस नियम के प्रयोजनों के लिए गणना में ली जाएगी।

टिप्पणी 3 - पांचवें वेतन आयोग पर आधारित संशोधित दरें उपलब्ध नहीं हैं । दर्शाए गए वेतनमान पूर्व-संशोधित वेतनमान हैं ।

34. व्यक्तिगत मामलों में नियमों के उपबंधों का शिथिल किया जाना - जब अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में से किसी नियम के प्रवर्तन से किसी अभिदाता को असम्यक कष्ट हो रहा है या होना संभाव्य है तो वह, इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, अभिदाता के मामले में ऐसी रीति से कार्रवाई कर सकेगा जो उसे न्यायोचित और साम्यापूर्ण प्रतीत हो ।

35. प्राधिकरण और अभिदाता आदि द्वारा अभिदान के अभिदाय की विधिमान्यता - इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण और अभिदाता द्वारा अभिदायी भविष्य निधि में दिया गया अभिदाय और इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व उचंचत खाते में जमा की गई रकमें इन नियमों के अधीन निधि दी गई और ऐसे लेखे में जमा की गई समझी जाएंगी।

अनुसूची

{नियम 14 (1) देखें}

नाम निर्देशन का प्रारूप

लेखा संख्या.....

मैं नीचे यथा उपदर्शित निधि में मेरे नाम जमा रकम के संदेय होने से पूर्व अथवा ऐसी दशा में, जब वह संदेय हो चुकी हो, किन्तु संदेय न की गई हो, मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्ति (व्यक्तियों) को, जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अभिदायी भविष्य निधि) नियम 2003 के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ज) में, यथापरिभाषित मेरे कुटुंब का/के सदस्य है/हैं, नामनिर्दिष्ट करता हूं

नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) का नाम और पूरा पता	अभिदाता के साथ संबंध	नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) की आयु	प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय अंश
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			

ऐसी आकस्मिकताएं जिनके होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा	ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के यदि कोई हो, नाम, पते और नातेदारी जिन्हें नामनिर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रमित हो जाएगा जब उसकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए	यदि नामनिर्देशिती नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ज) में परिभाषित के अनुसार कुटुंब का सदस्य नहीं है तो कारण उपदर्शित करें।
(5)	(6)	(7)
1.		
2.		

तारीख200

स्थान.....

अभिदाता के हस्ताक्षर.....

स्पष्ट अक्षरों में नाम

पदनाम

ऐसे दो साक्षी जिनके समक्ष हस्ताक्षर किए गए

नाम और पता:

हस्ताक्षर

1.

2.

प्ररूप का पृष्ठ भाग
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण/बोर्ड के उपयोग के लिए स्थान

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पदनाम.....से

नाम निर्देशन प्राप्त होने की तारीख.....

ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशासन और विधि) के हस्ताक्षर

बोर्ड का सचिव.....

तारीख.....

अभिदाता के लिए अनुदेश

(क) अपना नाम लिखिए।

(ख) निधि का नाम उपयुक्त रूप से पूरा किया जाए।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अभिदायी भविष्य निधि) नियम 2003 में कुटुंब की जो परिभाषा दी गई है उसे नीचे पुनः उद्धृत किया गया है:

कुटुंब से अभिप्रेत है -

(i) किसी पुरुष अभिदाता की दशा में, उसकी पत्नी या पत्नियां, संतानें, माता-पिता, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और संतानें और जहां अभिदाता के माता-पिता में से कोई जीवित नहीं हैं वहां पितामह पितामही ;

परंतु यदि कोई अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक हो गई है या वह, अभिदाता के शासित करने वालो स्वीय विधि के अधीन, या उस समुदाय की जिसकी वह है रूढिजन्य विधि के अधीन भरण-पोषण की हकदार नहीं रह गई है तो उसे तब से वह उन मामलों में जिनका संबंध इन नियमों से है, अभिदाता के कुटुंब की भाग नहीं समझा जाएगा जब तक कि अभिदाता पश्चात्तवर्ती सचिव को बाद में लिखित रूप में यह सूचित न करे कि उसे उस रूप में माना जाता रहेगा।

(ii) किसी स्त्री अभिदाता की दशा में, उसका पति, संतानें माता-पिता, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और संतानें और जहां अभिदाता के माता - पिता में से कोई जीवित नहीं है वहां पितामह पितामही:

परंतु यदि कोई अभिदाता, सचिव को लिखित सूचना देकर अपने कुटुंब से अपने पति को अपवर्जित करने की इच्छा व्यक्त करती है तो पति को, तब से उन मामलों में जिनका संबंध इन नियमों से है, अभिदाता के कुटुंब का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि अभिदाता पश्चातवर्ती ऐसी सूचना को लिखित रूप में रद्द न करदे,

टिप्पणी - 'संतान' से धर्मज संतान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत जहां अभिदाता को शासित करने वाली स्वीय विधि द्वारा दत्तक को मान्यता प्राप्त है, दत्तक संतान आती है अथवा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 (1890 का 8) के अधीन ऐसा कोई प्रतिपाल्य आता है जो अभिदाता के साथ रहता है और जिसे अभिदाता ने एक विशेष वसीयत के माध्यम से वही प्रास्थिति प्रदान की है जो नैसर्गिक रूप में जन्मी संतान को प्राप्त है।

- (घ) **स्तंभ (4)** - यदि केवल एक ही व्यक्ति को नामनिर्देशित किया जाता है तो उस नामनिर्देशिती के सामने "संपूर्ण" शब्द लिखा जाए। यदि एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित किया जाता है तो, प्रत्येक नाम-निर्देशिती को भविष्य निधि की संपूर्ण रकम में से संदेय अंश विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (ड) **स्तंभ (5)** - इस स्तंभ में नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) की मृत्यु को आकस्मिकताओं के रूप में वर्णित नहीं किया जाना चाहिए।
- (च) **स्तंभ (6)** - अपने नाम का उल्लेख न करें।
- (छ) अंतिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान में एक रेखा खींच दें जिससे कि आपके हस्ताक्षर करने के पश्चात उस स्थान में कोई और नाम न लिखा जा सके।

अनुसूची II

(नियम 21 देखें)

(अस्थायी अग्रिम मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी)

1. ऐसा कोई अग्रिम जिसकी मंजूरी के लिए नियम 21 के उप-नियम (2) के अधीन विशेष कारणों की अपेक्षा नहीं है वह, साधारण वित्तीय नियम 1963 के नियम 222 के अधीन अंतरण पर अग्रिम वेतन मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा या यदि आवेदक स्थानांतरण पर स्वयं को अग्रिम वेतन मंजूर करने के लिए सक्षम है तो यह आवेदक से अगले उच्चतर प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा, मंजूर किया जा सकेगा।
2. ऐसा अग्रिम जिसकी मंजूरी के लिए नियम 21 के उपनियम (2) के अधीन विशेष कारणों की अपेक्षा है, सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा मंजूर किया जा सकेगा।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th April, 2003

G.S.R. 333(E)— In exercise of the powers conferred by clause (ca) of sub-section 2 of section 35 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

**CHAPTER –I
PRELIMINARY**

1. Short title and Commencement.- (1) These Rules may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Contributory Provident Fund) Rules, 2003.
 - (2) They shall be deemed to have come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**- (1) In these rules unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
 - (b) "Authority" means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Act;
 - (c) "Board" means the Board of Trustees constituted under rule 6 ;
 - (d) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority appointed under sub-section 3 of section 3 of the Act;
 - (e) 'Competent authority', for the purpose of these rules, means Secretary, Telecom Regulatory Authority of India or any other officer authorised by him in this behalf;
 - (f) "Contribution" means any amount credited in Fund by way of addition to a subscription, or deposit or balance at the credit of an individual amount, in the Fund in respect of a subscriber under these rules;
 - (g) 'Dependent' means a dependent of the subscriber as defined in clause (c) of section 2 of Provident Fund Act, 1925 (19 of 1925);

- (h) 'Emoluments' means pay, leave salary, or subsistence grant as defined in the Fundamental Rules made by the Central Government and includes –
- (i) dearness pay appropriate to pay, leave salary or subsistence grant, if admissible;
 - (ii) any wages paid by the Authority to employees not remunerated by fixed monthly pay; and
 - (iii) any remuneration of the nature of pay received in respect of foreign service;

(i) "Employee" means the officers and such other employees appointed under sub-section (1) of section 10 of the Act, but does not include person appointed on deputation;

(j) "Family" means, -

- (i) in the case of a male subscriber, his wife or wives, children, parents, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grand parent:

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the personal law governing him or the customary law of the community, to which she belongs to be entitled to maintenance, she shall no longer be deemed to be a part of the subscriber's family in matter to which these rules relate unless the subscriber subsequently intimates, in writing to the Secretary that she shall continue to be so regarded;

- (ii) in the case of a female subscriber, her husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grand parent:

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Secretary expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of her family in matter to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

(k) "Fund" means Telecom Regulatory Authority of India Contributory Provident Fund constituted under sub-rule(1) of rule3;

(l) "Government Security" shall have the same meaning as assigned to it in the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944);

(m) "Leave" means any kind of leave sanctioned for the Staff of the Authority;

(n) "Member" means Member of the Authority appointed under sub-section (3) of section 3 of the Act and includes the Chairperson and the Vice-Chairperson;

- (o) 'Month' means calendar month;
- (p) "President" means President of the Board of Trustees;
- (q) 'Schedule' means the Schedule appended to these rules;
- (r) "Secretary" means Secretary of the Board of Trustees;
- (s) 'subscriber' means the Chairperson and other Members appointed under sub-section (3) of section 3 of the Act, and the officers and other employees appointed under sub-section (1) of section 10 of the Act by the Authority and does not include the person who is appointed on deputation;
- (t) "subscription" means the employee's share of contribution to the Fund ;
- (u) 'Trustee' means a person nominated under clause (d) of sub-rule (1) of rule 6;
- (v) 'Year' means a financial year.
- (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act and in the Provident Fund Act, 1925 (19 of 1925) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

CHAPTER II

CONSTITUTION, MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF THE FUND

3. **Constitution of the Fund.** - (1) The Authority shall constitute a Fund to be called The Telecom Regulatory Authority of India Contributory Provident Fund.
- (2) The Fund shall be maintained in rupees.
- (3) All sums paid into the Fund under these rules shall be credited to an account named "The Telecom Regulatory Authority of India Contributory Provident Fund."
- (4) The Fund shall constitute an irrevocable trust for the benefit of the subscribers.
4. **Assets of the Fund** - The Fund shall consist of -
- (a) contributions to be made by the Authority and subscriptions to be made by the subscribers in terms of these rules.

- (b) interest which may accrue on such contributions or subscriptions, as the case may be;
- (c) - balance transferred from any other Provident Fund where such transfers are authorised by the Board;
- (d) money lapsed to the Fund in accordance with the provisions of these rules; and
- (e) securities purchased with Fund accretions and any capital gains arising from the transfer of capital assets of the Fund.

5. **Administration of Funds and audit.**- (1) The total amounts received as the Authority's contributions and towards the subscriber's subscriptions to the Fund shall be credited to respective accounts.

- (2) All amount lapsed to the Fund and not profits or losses, if any, from the sale of the investments, shall be transferred to the 'Lapsed Account'.
- (3) All interests, rent and other income accrued or realised, as the case may be, shall be credited to an account to be called the 'Interest Income Account'.
- (4) All moneys belonging to the Fund shall be invested in the manner as specified in the orders / instructions issued by the Government of India in the Ministry of Finance from time to time or in the manner specified under provisions of Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882).
- (5) The accounts of the Fund shall be audited by the authority auditing the accounts of the Authority.

6. **Management of the Fund** .- (1) The Custody, control and management of the Fund shall be vested in the Board consisting of the following persons : -

- (a) Adviser(Administration and Legal) who shall be the ex-officio President;
- (b) Deputy Adviser (Finance and Accounts) who shall be ex-officio Trustee;
- (c) Deputy Adviser(Administration and Legal) who shall be ex-officio Trustee;
- (d) Two representatives of the employees of Authority of which one shall be a from Authority's staff cadre from division other than Administration and

Legal Division, and the other shall be female representative of the employees of the Authority to be nominated by the Chairperson.

- (2) An officer from the Finance and Accounts Wing of the Authority, nominated by the Chairperson, shall be the Secretary. The Secretary shall have the assistance of such staff provided by the Authority as the Chairperson may, from time to time, determine. It shall be the duty of the Secretary to convene meetings of the Board, to keep records thereof, take necessary steps to ensure proper maintenance of accounts and to carry out the decisions of the Board.

7. Term of Office of the Board of Trustees.- (1) Every Trustee, other than an ex-officio trustee, shall subject to these rules hold office for a period of two years commencing from the date on which the nomination is made.

- (2) Where any casual vacancy occurs in the office of a Trustee (other than an ex-officio Trustee), the Chairperson may nominate a subscriber of the Fund as Trustee to fill such vacancy and any Trustee so nominated shall hold office for the unexpired term of office of the Trustee in whose place he is so nominated.

- (3) An outgoing Trustee shall be eligible for re-nomination.

8. Resignation and cession of Trustee.- (1) A trustee other than ex-officio Trustees, may resign his office by a letter addressed to the Chairperson and his office shall become vacant from the date on which the resignation is accepted by the Chairperson.

- (2) If a Trustee other than an ex-officio Trustee fails to attend three consecutive meetings of the Board, without obtaining leave of absence from the President, he shall cease to be a Trustee, provided that the Board may of its own motion or on an application made by such Trustee in this behalf restore a Trustee to his office if it is satisfied that there were reasonable grounds for the absence.

9. Disqualification for the Trusteeship and removal.- (1) A person shall be disqualified for being a Trustee,-

- (a) if he is an un-discharged insolvent;
- (b) if he is declared to be of unsound mind by a competent court;

- (c) if he has been convicted of an office involving moral turpitude;
 - (d) if he ceases to be an employee of the Authority or if he ceases for any reason to be a subscriber of the Fund.
- (2) If any question arises whether any person is disqualified under sub-rule (1), it shall be referred to the Chairperson whose decision on the question shall be final.
- (3) The Authority may, if in its opinion that such Trustee has ceased to represent the interest which he purports to represent on the Board in terms of clause (d) of sub-rule (1) of rule 6 after giving him reasonable opportunity of making any representation against the proposed action, remove any Trustee from his office.
- 10. Meetings and Quorum.**- (1) The Board shall meet at New Delhi at such time as may be appointed in this behalf by the President. The President may, whenever he thinks fit, and shall within 15 days of the receipt of a requisition in writing from not less than two Trustees, call for a meeting of the Board.
- (2) Notice of not less than fifteen days in respect of a meeting of the Board shall be given to every trustee:
- Provided that when the President calls for a meeting for consideration of any matter which in his opinion is urgent at a notice shorter than fifteen days such shorter notice shall be deemed to be sufficient notice for the purpose of this rule.
- (3) The President shall preside over at every meeting of the Board and in his absence, the Trustees shall elect one of the Trustees present to preside the said meeting, the person so elected shall have all the powers of the President at such meeting.
- (4) No business shall be transacted at a meeting of the Board unless at least three Trustees are present of whom at least one shall be from among those nominated under clause (d) of sub-rule(1) of rule 6 of this rule.
- (5) If at any meeting a quorum is not present, the President shall adjourn the meeting to a date not later than 7 days from the date of original meeting, informing the Trustees of the time and place of adjourned meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of

the business at such adjourned meeting irrespective of the number of Trustees present thereat.

- (6) Every question considered at a meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the Trustees present and voting and in the event of an equality of votes and President shall exercise a second or casting vote.

11. Minutes of the Meeting .- (1) The minutes of the meeting of the Board shall be kept by the Secretary of the Board. On the confirmation of such minutes with or without modifications at the next meeting of the Board, the minutes so confirmed shall be recorded in the minute book and signed by the President and the minutes so recorded and so signed shall be the proof of the correctness thereof.

- (2) No act or proceedings of the Board shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy in or any defect in the constitution of the Board.
- (3) No Trustee shall be responsible or chargeable otherwise than in respect of money and security actually received by him notwithstanding his signature to any receipt for the sake of confirmation and he shall be answerable and accountable only for his acts, neglects or defaults and not for those of any other Trustee not of any Bankers, Broker or other person with whom any fund or the investments representing the same may be deposited or upon whose advice or opinion the Trustees may act nor shall he be answerable for the insufficiency or deficiencies of any securities nor for any other loss howsoever arising save such as happens through his own willful default.

12. Fees and Allowances.- All expenses relating to Fund shall not be charged to the Fund.

13. Conditions of eligibility.- (1) These rules shall apply to the Chairperson, whole time Members and every employee of the Authority who.-

- (a) has been appointed to its cadres or appointed on contract before these rules came into force; or
- (b) may be appointed by the Authority after these rules came into force.

(2) If an employee who is a subscriber of a Contributory Provident Fund covered under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952) or any other Provident Fund established by the Central Government or State Government and/ or any other Provident Fund recognised under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), and has not withdrawn the Provident Fund amount standing to his credit at the time of joining the accumulations standing to his credit shall be transferred with to the Fund.

(3) The pensioners and superannuated persons of the State Government or Central Government Department or Corporation established under Central Government or State Acts may become subscribers of the Fund from the date of their appointment:

Provided that their employment is not for less than one year or is extended for one year or more or terms of their appointment provide for Contributory Provident Fund facility.

(4) The persons appointed on contract basis shall not be eligible to become subscriber of the Fund unless their contracts of appointment specifically provide for the same.

14. **Nominations.**- (1) A subscriber shall, at the time of joining the Fund, send to the Secretary through the Senior Research Officer (Administration and Legal), of the Authority, a nomination Form as specified in the Schedule-I conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death, before that amount has become payable or having become payable has not been paid:

Provided that, if at the time of making the nomination the subscriber has a family, the nomination shall not be in favour of any person or persons other than the members of his family:

Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other provident fund to which he was subscribing before joining the Fund shall, if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in this Fund, be deemed to be a nomination duly made under this rule until he makes a nomination in accordance with this rule.

(2) If a subscriber nominates more than one person under sub-rule(1), he shall specify in the nomination Form the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at anytime.

(3) A subscriber may, at any time, cancel a nomination by sending a notice in writing to the Secretary. The subscriber shall, along with such notice or separately, as the case may be send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(4) A subscriber may provide in a nomination –

- (a) in respect of any specified nominee, in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination, provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee.
- (b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein:

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause(a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(5) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-rule(4) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-rule(4) or the proviso thereto, the subscriber shall send to the Secretary a notice in writing canceling the nomination, together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(6) Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Secretary.

15. **Subscriber's Accounts.-** (1) An account shall be opened in the name of each subscriber which shall be shown-

- (i) his subscriptions;
- (ii) contributions made under rule 18 by the Authority to his account;
- (iii) interest, as provided by rule 20 on subscriptions;
- (iv) interest, as provided by rule 20 on contributions;

(v) advances and withdrawals from the Fund.

(2) As soon as may be after the close of the year, every subscriber shall be supplied by the Secretary with a statement of his accounts showing therein the opening balances for the year of subscriptions and contributions to the credit of his account including interest thereon; the amount of subscriptions and contributions for the year, the interest credited to his account for the year and the total amounts of subscriptions and contributions including interest thereon, to his credit at the end of the year.

(3) Every subscriber shall send to the Secretary the acceptance of the statement of his account duly signed by him after satisfying himself as to the correctness of the entries made therein, not later than two months from the date of receipt thereof.

(4) An abstract for the year of the individual account of each subscriber in respect of whom a return is required to be furnished under the Income Tax Rules, 1962 shall be furnished to the Income Tax Officer concerned in such form and within such dates as may be required by the provisions of that rules.

16. **Conditions of subscriptions.**-(1) Every subscriber shall subscribe monthly to the Fund when on duty or foreign service but not during a period of suspension :

Provided that a subscriber on reinstatement after a period passed under suspension shall be allowed the option of paying in one sum, or in installments, any sum not exceeding the maximum amount of arrears of subscriptions payable for that period.

Note: A subscriber need not subscribe during a period treated as *dies non*.

A subscriber may, at his option, not subscribe during leave, by a written communication to the Secretary which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay.

(3) The subscriber shall intimate his election not to subscribe during the leave period referred to in sub-rule(2) in the following manner:-

(a) if he is an officer who draws his own bills, by making no deduction on account of subscription in his first pay bill drawn after proceeding on leave:

- (b) if he is not an officer who draws his own pay bills, by written communication to the Secretary before he proceeds on leave, and

failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe.

The option of a subscriber intimated under this sub-rule shall be final.

- (4) A subscriber who has withdrawn the amount standing to his credit in the Fund under rule 28 shall not subscribe to the Fund after such withdrawal unless he returns to duty.

- (5) Notwithstanding anything contained in sub-rule(1), a subscriber shall not subscribe to the Fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the Secretary in writing his option to subscribe for the said month.

17. Rates of subscription.-(1)The amount of subscription shall be fixed by the subscriber himself, subject to the following conditions, namely:-

- (a) it shall be expressed in whole rupees;
- (b) it may be any sum, so expressed not less than ten per cent of the emolument and not more than his emoluments.

(2) For the purpose of sub-rule(1), the emoluments of a subscriber shall be –

- (a) in the case of subscriber who was in service of the Authority on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date:

Provided that –

- (i) if the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty;
- (ii) if the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on leave on the said date and continues to be on leave and has elected to

subscribe during such leave, his emoluments shall be the emoluments to which he would have been entitled had he been on duty in India;

(iii) if the subscriber joined the Fund for the first time on a day subsequent to the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on such subsequent date;

(b) in the case of subscriber who was not in Authority's service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on the first day of his service, or if he joined the Fund for the first time on a date subsequent to the first day of his service, the emoluments to which he was entitled on such subsequent date:

Provided that, if the emoluments of the subscriber are of a fluctuating nature, they shall be calculated in such manner as the Authority may direct.

(3) The subscriber shall intimate the fixation of the amount of his monthly subscription in each year in the following manner, namely:-

- (a) if he was on duty on the 31st March of the preceding year, by the deduction which he makes in this behalf from his pay bill for that month;
- (b) if he was on leave on the 31st March of the preceding year, and elected not to subscribe during such leave, or was under suspension on that date, by the deduction which he makes in this behalf from his first pay bill after his return to duty;
- (c) if he has entered in to the service of the Authority for the first time during the year, or joins the Fund for the first time, by the deduction which he makes in this behalf, from his pay bill for the month during which he joins the Fund;
- (d) if he was on leave on the 31st March of the preceding year, and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, by the deduction which he causes to be made in this behalf from his salary bill for that month.
- (e) if he was on foreign service on the 31st March of the preceding year, by the amount credited by him into the treasury on account of subscription for the month of April in the current year;

- (f) if his emoluments are of the nature referred to in the proviso to sub-rule(2), in such manner as the Authority may direct.
- (4) The amount of subscription so fixed may be -
- (a) reduced once at any time during the course of the year;
 - (b) enhanced twice during the course of the year; or
 - (c) reduced and enhanced as aforesaid:

Provided that when the amount of subscription is so reduced it shall not be less than the minimum amount specified in sub-rule(1):

Provided further that if a subscriber is on leave without pay or leave on half pay or half average pay for a part of a calendar month and he has elected not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave, if any, other than those referred to above.

18. **Contribution by Authority.**- (1) The Authority shall with effect from the 31st March of each year, make a contribution to the account of each subscriber:

Provided that if a subscriber quits the service or dies during a year contribution shall be credited to his account for the period between the close of the preceding year and the date of the casualty:

Provided further that no contribution shall be payable in respect of any period for which the subscriber is permitted under the rules not to, or does not, subscribe to the Fund.

(2) The contribution shall be ten per cent of the subscriber's emoluments drawn on duty during the year or period, as the case may be, as has been or may be specified by the Government of India by general or special order:

Provided that if, through oversight or otherwise, the amount subscribed is less than the minimum subscription payable by the subscriber under rule 17 and if the short subscription together with the interest accrued thereon is not paid by the subscriber within such time as may be specified by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub rule(3) of rule 21, the contribution payable

by the Authority shall be equal to the amount actually paid by the subscriber or the amount normally payable by Authority, whichever is less, unless the Authority, in a any particular case, otherwise directs.

(3) If a subscriber is on deputation out of India, the emoluments which he would have drawn had he been on duty in India shall, for the purposes of this rule, be deemed to be emoluments drawn on duty.

(4) If a subscriber elects to subscribe during leave, his leave salary shall, for the purposes of this rule, be deemed to be emoluments drawn on duty.

(5) If a subscriber elect to pay arrears of subscriptions in respect of period of suspension, the emoluments or portion of emoluments which may be allowed for that period on reinstatement, shall, for the purpose of this rule, be deemed to be emoluments drawn on duty.

(6) The amount of any contribution payable in respect of a period of foreign service shall, unless it is recovered from the foreign employer, be recovered by Authority from the subscriber.

(7) Subscriptions and contribution shall be rounded to the nearest rupee (fifty paise or more to be counted as the next higher rupee).

19. Transfer to Foreign Service or deputation out of India and Realization of subscriptions.- (1) When a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation out of India, he shall remain subject to the rules of the Fund in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

(2) When emoluments are drawn while on foreign service or on deputation, the recovery of the subscriptions on account of these emoluments and the principal of advances shall be made from the emoluments themselves.

(3) When emoluments are drawn from any other source, the subscriber shall forward his dues monthly to the Secretary

Provided that in the case of a subscriber on deputation to a body corporate, owned or controlled by Government, the subscriptions shall be recovered and forwarded to the Secretary by such body.

20. Interest .- (1) The Authority shall pay to the credit of the account of a subscriber interest, at such rate as the Central Government may from time to time specify for the payment of interest on subscriptions to the General Provident Fund on the amount to his credit in the Fund.

(2) Interest shall be credited with effect from the 31st March of each year in the following manner:-

- (i) on the amount to the credit of a subscriber on the 31st March of the preceding year, less any sums withdrawn during the current year - interest for twelve months;
- (ii) on sums withdrawn during the current year - interest from the 1st April of the current year up to the last day of the month preceding the month of withdrawal;
- (iii) on all the sums credited to the subscriber's account after the 31st March of the preceding year - interest from the date of deposit up to the 31st March of the current year;
- (iv) the total amount of interest shall be rounded to the nearest rupee in the manner provided in sub-rule(7) of rule 18:

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this rule in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, up to the date on which the amount standing to the credit of the subscriber became payable.

- (3) For the purpose of this rule, the date of deposit shall, in the case recoveries from emoluments, be deemed to be the first day of the month in which they are recovered, and in the case of amounts forwarded by the subscriber, shall be deemed to be the first day of the month of receipt, if they are received by the Secretary before the fifth day of that month, but if they are received on or after the fifth day of that month, the first day of the next succeeding month:

Provided that where there has been delay in the drawal of pay or leave salary and allowances of a subscriber and consequently in the recovery of his subscription towards the Fund, the interest on such subscriptions shall be payable from the month in which the pay or leave salary of the subscriber was due under the rules, irrespective of the month in which it was actually drawn :

Provided further that in the case of an amount forwarded in accordance with the proviso to sub-rule(3) of rule 19, the date of deposit shall be deemed to be the first day of the month if it is received by the Secretary before the fifteenth day of that month.

Provided also that where the emoluments for a month are drawn and disbursed on the last working day of the same month the date of deposit shall, in the case of recovery of his subscriptions, be deemed to be the first day of the succeeding month.

(4) In addition to any amount to be paid under rule 32, interest thereon up to the end of the month preceding that in which the payment is made, or up to the end of the sixth month after the month in which such amount, became payable whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid:

Provided that no interest shall be paid in respect of any period after the date which the Secretary has intimated to that person(or his agent) as the date on which he is prepared to make payment in cash, or if he pays by cheque, after the date on which the cheque in that person's favour is put in the post:

Provided further that where a subscriber on deputation to a body corporate, owned or controlled by the Government or an Autonomous Organization registered under the Societies Registration Act, 1860, (21 of 1860) is subsequently absorbed in such body corporate or organization with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due on the Fund accumulations of the subscriber the date of issue of the orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber became payable subject, however, to the condition that the amount recovered as subscription during the period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of orders of absorption shall be deemed to be subscription to the Fund only for the purpose of awarding interest under this sub-rule.

NOTE :- Payment of interest on the Fund balance beyond a period of six months may be authorised by –

- (a) the Board up to a period of one year; and
- (b) the Authority up to any period,

after the Board or the Authority, as the case may be, is satisfied that the delay in payment was occasioned by circumstances beyond the control of the subscriber or the person to whom such payment was to be made, and in every such case the administrative delay involved in the matter shall be fully investigated and action, if any required, taken.

- (5) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he informs the Secretary that he does not wish to receive it; but if he subsequently asks for interest, it shall be credited with effect from the 1st April of the year in which he asks for it.
- (6) The interest on amounts which under rule 27 or rule 28 are replaced to the credit of the subscriber in the Fund, shall be calculated at such rates as may be successively in the manner specified under sub-rule(1) of this rule and so far as may be in the manner described in this rule.
- (7) In case a subscriber is found to have drawn from the Fund an amount in excess of the amount standing to his credit on the date of the drawl, the overdrawn amount, irrespective of whether the overdrawal occurred in the course of an advance or a withdrawal or the final payment from the Fund, shall be repaid by him with interest thereon in one lump sum, or in default, be ordered to be recovered by deduction in one lump sum, from the emoluments of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly installments of moieties of his emoluments till the entire amount together with interest, is recovered. For this sub-rule the rate of interest to be charged on overdrawn amount would be 2 ½ per cent over and above the normal rate of Provident Fund balance under sub- rule(1). The interest realised on the overdrawn amount shall be credited to a 'Interest Income Account' and be disposed off for the benefit of the staff in such a manner as the Board may decide.

CHAPTER III
ADVANCES FROM THE FUND

21. **Advances from the Fund.**- (1) The sanctioning authority, as specified in Schedule II, may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding in amount three months' pay or half the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund, whichever is less, for one more of the following purposes:-

(a) to pay expenses in connection with the illness, confinement or a disability, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him:

(b) to meet the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him in the following cases, namely:-

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years;

(c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;

(d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Government source.

(e) to meet the cost of the subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part.

(f) to purchase consumer durables such as Television, Video Cassette Recorder/Video Cassette Player, Washing machines, Cooking Range, Geysers and Computers, etc.

(2) The **Chairperson** may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in sub-rule(1).

(3) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-rule(1) or until repayment of the last installment of any previous advance:

Provided that an advance shall in no case exceed the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund.

(4) When an advance is sanctioned under sub-rule (3) before repayment of the last installment of any previous advance is completed the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the installment for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

(5) After sanctioning the advance, the amount shall be drawn on an authorization from the Secretary in case where the application for final payment had been forwarded to the Secretary under clause (ii) sub-rule (3) of rule 32.

22. Recovery of Advance.- (1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly installments as the sanctioning authority may direct, but such number shall not be less than twelve unless the subscriber so elects and *not* more than thirty six. A subscriber may, at his option, make repayment of more than one installment in any month. The amount of each installment shall be fixed in terms of whole rupees, the amount of advance being raised or reduced if necessary to admit of such fixation of installments.

(2) Recovery shall be made in the manner as specified in sub-rules (2) and (3) of rule 19 for the realisation of subscriptions, and shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn. Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent, while he is in receipt of subsistence grant or is on leave for ten days or more in a calendar month which either does not carry any leave salary or carries leave

salary equal to or less than half pay or half average pay, as the case may be. The recovery may be postponed, on the subscriber's written request, by the sanctioning authority during the recovery of an advance of pay granted to the subscriber.

(3) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed, the whole or balance of the amount withdrawn shall forthwith be repaid by the subscriber to the Fund, or in default, be ordered by the Secretary to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in a lump sum or in monthly installments not exceeding twelve as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required under sub-rule (2) of rule 21;

Provided that, before such advance is disallowed, the subscriber shall be given an opportunity to explain to the sanctioning authority in writing within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced and if an explanation is submitted by the subscriber, within the period of fifteen days, it shall be referred to the Chairperson for decisions; and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment of the advance shall be enforced in the manner prescribed in this sub-rule

(4) Recoveries made under this rules shall be credited as they are made to the subscriber's account in the Fund.

23. Wrongful use of advance.- Notwithstanding anything contained in these rules, if the Board has reason to doubt that money drawn as an advance from the Fund under rule 21 has been utilised for a purpose other than for which sanction was given to the drawal of the money, he shall communicate to the subscriber the reasons for its doubt and require him to explain in writing and within fifteen days of the receipt of such communication whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. If the Board is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the Fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one sum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If, however, the total amount to be repaid be more than half the subscriber's pay, recoveries shall be made in monthly installments of moieties of his pay till the entire amount is repaid by him.

Note.- The term "emoluments" in this rule does not include subsistence grant.

24. **Withdrawal from the fund .-** (1) Subject to the conditions specified hereinafter, withdrawals may be sanctioned by the authorities competent to sanction an advance for special reasons under sub rule(2) of rule 21 at any time, -

(A) after the completion of [fifteen] years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, or where there is an appointment for a fixed term on contract or otherwise, on completion of at least one year, from the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund, for one or more of the following purposes, namely:-

(a) meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely:-

- (i) for education outside India or academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and
- (ii) for any medical, engineering or other technical or specialized course in India beyond the High School stage;

(b) meeting the expenditure in connection with the betrothal or marriage of the subscriber or his sons or his daughters, and any other female relation actually dependent on him;

(c) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(d) meeting the cost of Consumer durables such as Television, Video Cassette Recorder, Video Cassette Player, Washing Machines, Cooking Range, Geysers and Computers, etc.

(B) During the service of a subscriber from the amount of subscription and interest thereon standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely:

- (a) building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or flat by the Delhi Development Authority, State Housing Board or a House Building Co-operative Society;

- (b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence;
 - (c) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber;
 - (d) renovating, additions or alterations or upkeep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from Authority at a place other than the place of duty;
- (C) Within twelve months before the date of subscriber's retirement on superannuation from the amount of subscription and interest thereon standing to the credit in the Fund, without linking to any purpose.
- (D) Once during the course of a financial year, an amount equivalent to one year's subscription paid for by the subscriber towards any Group Insurance Scheme for the Authority employees on self-financing and contributory basis.

Note 1 - Withdrawal under sub-clause (a), (c) or (d) of clause (B) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan actually got to be approved.

Note 2 - The amount of withdrawal sanctioned under sub-clause(b) of clause(B) shall not exceed $\frac{3}{4}$ th of the balance on date of application together with the amount of the previous withdrawal under sub-clause (a), reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is : $\frac{3}{4}$ of (the balance as on date plus amount of previous withdrawal (s) for the house in question) minus the amount of the previous withdrawal (s).

Note 3 - Withdrawal under sub-clause(a) or (d) of clause (B) shall also be allowed where the house-site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

Note 4 - Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this rule. But marriage or education of different children or illness on different occasion's or a further addition or alternation to a house or flat covered by a fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same

purpose. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (d) of clause (B) for completion of the same house shall be allowed up to the limit laid down under Note 2.

Note 5.- A withdrawal under this rule shall not be sanctioned if an advance under rule 21 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

(2) Whenever a subscriber is in a position to satisfy the sanctioning authority about the amount standing to his credit in the Fund Account with reference to the latest available statement of Fund Account together with the evidence of subsequent contribution, the sanctioning authority may itself sanction withdrawal within the prescribed limits, as in the case of a refundable advance. In doing so, the sanctioning authority shall take into account any withdrawal or refundable advance already sanctioned by it in favour of the subscriber. Where, however, the subscriber is not in a position to satisfy the sanctioning authority about the amount standing to his credit or where there is any doubt about the admissibility of the withdrawal applied for, a reference may be made to the Secretary by the sanctioning authority for ascertaining the amount standing to the credit of the subscriber with a view to enable the sanctioning authority to determine the admissibility of the amount of withdrawal. The sanction for the withdrawal should prominently indicate the Fund Account Number and the Secretary maintaining the accounts and a copy of the sanction should invariably be endorsed to the Secretary. The sanctioning authority shall be responsible to ensure that an acknowledgement is obtained from the Secretary that the sanction for withdrawal has been noted in the ledger account of the subscriber. In case the Secretary reports that the withdrawal as sanctioned is in excess of the amount to the credit of the subscriber or otherwise inadmissible, the sum withdrawn by the subscriber shall forth-with be repaid in one lump sum by the subscriber to the Fund and in default of such repayment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly installments as may be determined by the Chairperson.

(3) After sanctioning the withdrawal, the amount shall be drawn on an authorization from the Secretary in cases where the application for final payment had been forwarded to the Secretary under clause(ii) of sub-rule(3) of rule 32.

25. Conditions for withdrawal.-(1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in rule 24 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of the amount of subscriptions and interest

thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund or six months pay, whichever is less. The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit up to $\frac{3}{4}$ th in the case of withdrawal under sub-clause (A) and 90 per cent in the case of withdrawal under clause(B) of sub-rule(1) of rule 24 of the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund having due regard to:-

- (i) the object for which the withdrawal is being made;
- (ii) the status of the subscriber; and
- (iii) the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund.

Provided that in no case the maximum amount of withdrawal for purposes specified in clause (B) of sub-rule(1) of rule 24 shall exceed the maximum limit prescribed from time to time under rules 2 (a) and 3(b) of the Scheme of the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation for the grant of advances for house-building purposes:

Provided further that in the case of a subscriber who has availed himself of an advance under the Scheme of the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation for the grant of advances for house-building purposes, or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source, the sum withdrawn under this sub-rule together with the amount of advance taken under the aforesaid Scheme or assistance taken from any other Government source shall not exceed the maximum limit prescribed from time to time under rule 2 (a) and 3 (b) of the aforesaid Scheme.

Provided also that the withdrawal admissible under clause (C) of sub-rule (1) of rule 24 shall not exceed 90 per cent of the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the fund.

Note 1.- A withdrawal sanctioned to a subscriber under sub-clause (a) of clause (A) of sub-rule(1) of rule 24, may be drawn in installments, the number of which shall not exceed four in a period of twelve calendar months counted from the date of sanction.

Note 2.- In cases where a subscriber has to pay in installment for a site or a house or a flat purchased, or a house or flat constructed through the Delhi Development Authority or a State Housing Board or a House Building Cooperative Society, he shall be permitted to make

a withdrawal as and when he is called upon to make a payment in any installment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub-rule(1) of rule 25.

(2) A subscriber has been permitted to withdraw money from the Fund under rule 24 shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was drawn, and if fails to do so, the whole of the sum so withdrawn or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid on one lump sum by the subscriber to the Fund and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly installments, as may be determined by the Authority:

Provided that, before repayment of a withdrawal is enforced under this sub-rule, the subscriber shall be given an opportunity to explain in writing and within fifteen days of the receipt of communication why the repayment shall not be enforced; and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall enforce the repayment in the manner prescribed in this sub-rule.

(3) (a) A subscriber who has been permitted under sub-clause (a), sub-clause(b) or sub-clause(c) of clause (B) of sub-rule (1) of rule 24 to withdraw money from the amount of subscription together with interest thereon standing to his credit in the Fund, shall not part with the possession of the house built or acquired or house-site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage, gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the Authority:

Provided that such permission shall not be necessary for,-

- (i) the house or house-site being leased for any term not exceeding three years, or
- (ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalised Banks, the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Central Government which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alterations to an existing house.

(b) The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year as to whether the house or the house-site, as the case may be, continues to be in his possession or has been mortgaged, otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so required, produce before the sanctioning authority on or before the date specified by that authority in that behalf, the original sale, mortgage or lease deed and also the documents on which his title to the property is based.

(c) If at any time before his retirement, the subscriber parts with the possession of the house or house-site without obtaining the previous permission of the Authority, he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him in a lump sum to the Fund, and in default of such repayment, the sanctioning authority shall, after giving the subscriber a reasonable opportunity of making a representation in the matter, cause the said sum to be recovered from the emoluments of the subscriber either in lump sum or in such number of monthly installments, as may be determined by it.

(4) An advance and final withdrawal for the same purpose shall not to be sanctioned together.

Explanation.- For the purpose of these sub-rule “betrothal ceremony” and “marriage” shall be treated as separate for the purpose of this rule and withdrawal is permissible separately for both the occasions.

(5) Withdrawal shall not be sanctioned for more than one house at the same or another place.

(6) (i) In case of withdrawal for upkeep of house, etc., withdrawal can be admitted subject to the condition that the subscriber submits a certificate to the effect that the items of work to be carried out by him do not require the approval of local or municipal authority; and

(ii) Withdrawal is permissible in cases where the ancestral house has not been transferred in the name of the subscriber subject to production of proof by the subscriber that he or she is one of the inheritors or nominees to receive the share of the property;

(7) Courses of study for which advances/withdrawals may be given under rule 21 or rule 24 shall be specified by the Authority. The Authority shall maintain a list of such courses and review it from time to time, at its discretion.

26. Conversion of an advance into a withdrawal.- A subscriber, who has already drawn or may draw in future an advance under rule 21 for any of the purposes specified in sub-rule(1) of rule 24, may convert, at his discretion by written request addressed to the Secretary, the balance outstanding against it into a final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in rules 24 and 25.

Note 1.- For the purposes of sub-rule (1) of rule 25, the amount of subscription with interest thereon standing to the credit of the subscriber in the account at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance. Each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion.

27. Final withdrawal of accumulations in the Fund. - When a subscriber quits the service, the amount standing to his credit in the Fund shall, subject to any deduction under rule 31, become payable to him:

Provided that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated in the service shall, if required to do so by the Authority repay any amount paid to him from the Fund in pursuance of this rule, with interest thereon at the rate provided in rule 20 in the manner specified in the proviso to rule 28. The amount so repaid shall be credited to his account in the Fund, the part which represents his subscriptions and interest thereon, and the part which represents Authority's contribution with interest thereon, being accounted for in the manner specified in rule 15.

Explanation No. I. A subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed, with or without a break in service, shall not be deemed to quit the service, when he is transferred without any break in service to a new post either under the Central Government or a State Government (in which he is governed by another set of Provident Fund Rules) and without retaining any connection with his former post. In such a case, his subscription and the Authority's contribution together with interest thereon shall be transferred-

- (a) to his account in the other Fund in accordance with the rules of that Fund, if the new post is in any other department of the Central Government, or
- (b) to a new account under the State Government concerned if the new post is under a State Government and the State Government consents, by general or special order, to such transfer of his subscriptions, the Authority's contribution and interest.

NOTE: Transfers shall include cases of resignation from service in order to take up appointment in either under the Central Government or a State Government without any break and with permission of the Authority. In case there has been a break in service it shall be limited to the joining time allowed on transfer to a different station.

The same shall hold good in cases of retrenchments followed by immediate employment whether under the same or different Government.

Explanation No. II. When a subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service is subsequently re-employed, is transferred without any break, to the service under a body corporate owned or controlled by Government, or an autonomous Organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, the amount of subscriptions and the Authority's contribution together with interest thereon, shall not be paid to him but shall be transferred with the consent of that body, to his new Provident Fund Account under the body.

Transfers shall include cases of resignation from service in order to take up appointment under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous Organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, without any break and with proper permission of the Authority. The time taken to join the new post shall not be treated as a break in service if it does not exceed the joining time admissible to a subscriber on transfer from one post to another:

Provided that the amount of subscription and the Authority's contribution together with interest thereon, of a subscriber opting for service under a Public Enterprise may, if he so desires, be transferred to his new Provident Fund Account under the Enterprise if the concerned Enterprise also agrees to such transfer. If, however, the subscriber does not desire the transfer or the concerned Enterprise does not operate a Provident Fund, the amount aforesaid shall be refunded to the subscriber.

28. Retirement of Subscriber .- When a subscriber-

- (a) has proceeded on leave preparatory to retirement or if he is employed in a vacation department, on leave preparatory to retirement combined with vacation, or
- (b) while on leave, has been permitted to retire or declared by a competent medical authority to be unfit for further service,

the amount of subscription and interest thereon standing to his credit in the Fund shall, upon application made by him in that behalf to the Secretary, become payable to the subscriber:

Provided that the subscriber, if he returns to duty, shall, except where the Authority decides otherwise, repay to the Fund for credit to his account, the amount paid to him from the Fund in pursuance of this rule with interest thereon at the rate provided in rule 20 in cash or securities or partly in cash and partly in securities, by installment or otherwise, by recovery from his emoluments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required under sub-rule (2) of rule 21.

29. Procedure on death of a subscriber. - Subject to any deduction under rule 31, on the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable, before payment has been made:

- (i) When subscriber leaves a family-
 - (a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of rule 14 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.
 - (b) if no such nomination in favour of a member or members of his family, of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares:

Provided that no share shall be payable to -

- (1) sons who have attained majority

- (2) sons of a deceased son who have attained majority;
- (3) married daughters whose husbands are alive;
- (4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive;

if there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4):

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and if, in a case where had he survived the subscriber, he would have been excluded from a share under the provisions of clause (1) of the first proviso.

(ii) When the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of rule 14 in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

30 Dismissal, resignation and cessation of service.—(1) If any subscriber is dismissed from the service of the Authority for any fault or other cause justifying dismissal, he shall not be entitled to receive, unless permitted to do so by the trustees, the sums contributed by the Authority to his provident fund account or any interest credited to that account on the sums so contributed:

Provided that when any subscriber is so dismissed, any amount due under a liability incurred by the subscriber to the Authority (not exceeding in any case the sums so contributed by the Authority and interest thereon) shall be paid by the Board out of the sum standing to the credit of the subscriber's account.

(2) When a subscriber, who has been appointed by the Authority to its cadres resigns or retires from the service of the Authority, he shall, if he has served the Authority for a period of five years or more or in the case he has been appointed on contract for a fixed term or appointed under a statute for a fixed term and has served the Authority for one year or more, be entitled to receive the balance at his credit in the fund:

Provided that when any subscriber resigning or retiring from the service of the Authority is under a liability incurred by him to the Authority, the trustee shall irrespective of the duration of his service pay the Authority out of the balance at his credit in the fund any amount due by him to the Authority (not exceeding in any case the sums contributed by the

Authority to his account in the fund and any interest credited to his account on the sums so contributed.)

(3) If any subscriber ceases to serve the Authority before completion of a service of five years in case of any appointment other than appointment on contract or one year in case of appointment on contract, as the case may be, in terms of sub-rule 2 with the Authority he shall be entitled to receive only the amount of his own subscriptions to the fund with the interest credited thereon to the date of his severing his connection with the Authority.

(4) No subscriber shall be entitled to receive payment of any share of the contribution of the Authority to the fund until he shall have served the Authority for a period of five years in case of any appointment other than appointment on contract or one year in case of appointment on contract in terms of sub rule2 notwithstanding that a share thereof may have been credited to his account in the books of the fund, but the trustees may in their absolute discretion authorise such payment if a subscriber is compelled to retire before completing five years' service owing to any cause beyond his control.

31. Deductions.- Subject to the condition that no deduction may be made which reduces the credit by more than the amount of any contribution by the Authority with interest thereon credited under rules 18 and 20, before the amount standing to the credit of the subscriber in the Fund is paid out of the Fund,

(A) the Chairperson may direct the deduction therefrom and payment to the Authority of,-

(i) all amounts representing such contribution and interest, if the subscriber is dismissed from service due to misconduct, insolvency or inefficiency :

Provided that where the Chairperson is satisfied that such deduction would cause exceptional hardship to the subscriber, he may, by order, exempt from such deduction an amount not exceeding two-third of the amount of such contribution and interest which would have been payable to the subscriber, if he had retired on medical grounds:

Provided further that if any such order of dismissal is subsequently cancelled, the amount so deduced shall, on his reinstatement in the service be replaced to his credit in the Fund.

(ii) all amounts representing such contribution and interest, if the subscriber within five years of the commencement of his service as such or who has been appointed on contract for a fixed term or under a statute for a fixed term, within one year of the commencement of his service as such, resigns from the service or ceases to be an employee under Authority or otherwise than by reason of death, superannuation, or a declaration by a competent medical authority that he is unfit for further service, or the abolition of the post or the reduction of establishment.

(B) the Chairperson may direct the deduction therefrom and payment to the Authority of any amount due under a liability incurred by a subscriber to the Authority.

32. Manner of payment of amount in the Fund.- (1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund or the balance thereof after any deduction under rule 31 becomes payable, it shall be the duty of the Secretary after satisfying himself when no such deduction has been directed under that rule, that no deduction is to be made, to make payment on receipt of a written application in this behalf as provided in sub-rule(3).

(2) If the person to whom, under these rules, any amount is to be paid, assigned or reassigned or delivered, is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act 1912, the payment or reassignment or delivery shall be made to such manager and not to the lunatic:

Provided that where no manager has been appointed and the person to whom the sum is payable is certified by a Magistrate to be a lunatic, the payment shall under the orders of the Collector be made in terms of sub-section (1) of section 95 of the Indian Lunacy Act, 1912, to the person having charge of such lunatic and the Secretary shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the lunatic and the surplus, if any, or such part thereof, as he thinks fit, shall be paid for the maintenance of such members of the lunatic's family as are dependent on him for maintenance.

(3) Payments of the amount withdrawn shall be made in India only. The persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payment in India. The following procedure shall be adopted for claiming payment by a subscriber, namely :-

- (i) to enable a subscriber to submit an application for withdrawal of the amount in the Fund, the Senior Research Officer (Administration and Legal), of the Authority, shall send to every subscriber necessary forms either one year in advance of the date on which the subscriber attains the age of superannuation, or before the date of his anticipated retirement, if earlier, with instructions that they should be returned to him duly completed within a period of one month from the date of receipt of the forms by the subscriber. The subscriber shall submit the application to the Secretary of the Board through the Senior Research Officer (Administration and Legal), of the Authority, for payment of the amount in the Fund. The application shall be made,-
- (A) for the amount standing, to his credit in the Fund as indicated in the Accounts Statement for the year ending one year prior to the date of his superannuation, or his anticipated date of retirement, or
- (B) for the amount indicated in his ledger account in case the Accounts Statement has not been received by the subscriber.
- (ii) the Senior Research Officer (Administration and Legal) of the Authority shall forward the application to the Secretary indicating the recoveries effected against the advances which are still current and the number of installments yet to be recovered and also indicate the withdrawals, if any, taken by the subscriber after the period covered by the last statement of the subscriber's account sent by the Secretary.
- (iii) the Secretary shall, after verification with the ledger account, issue an authority for the amount indicated in the application at least a month before the date of superannuation but payable on the date of superannuation.
- (iv) the authority mentioned in clause (iii) shall constitute the first installment of payment. A second authority for payment shall be issued as soon as possible after superannuation. This shall relate to the contribution made by subscriber subsequent to the amount mentioned in the application submitted under clause (i) plus the refund of installments against advances which were current at the time of the first application.
- (v) after forwarding the application for final payment to the Secretary, advance or withdrawal may be sanctioned but the amount of advance or withdrawal shall be drawn on an authorization from the Secretary who shall arrange this as soon as formal sanction of sanctioning authority is received by him.

33. **Deposit Linked Insurance Scheme** - On the death of a subscriber, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Secretary an additional amount equal to the average balance amount of subscription and interest thereon at the credit in the account during the three years immediately preceding the death of such subscriber, subject to the condition that -

(a) the balance representing subscription with interest thereon at the credit of such subscriber shall not at any time during the three years preceding the month of death have fallen below the limits of -

(i) Rs.12,000 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs.4,000 or more;

(ii) Rs.7,500 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs 2,900 or more but less than Rs. 4,000;

(iii) Rs.4,500 in the case of a subscriber who has held fo the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs.1,151 or more but less than Rs. 2,900;

(iv) Rs.3,000 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 1,151;

(b) the additional amount payable under this rule shall not exceed Rs.30,000;

(c) the subscriber has put in at least 5 years service at the time of his or her death.

NOTE 1 - The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the subscriber at the end of each of the 36 months, preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the minimum balance prescribed above --

(a) the balance at the end of March, shall include the annual interest credited in terms under rule17; and

(b) if the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of said last month shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.

NOTE 2 – In case of persons appointed on tenure basis and in the case of re-employed pensioners, service rendered from the date of such appointment on re-employment, as the case may be, only shall count for purposes of this rule.

NOTE 3 – Revised rates based on Fifth Pay Commission not available. The pay-scale shown are pre-revised pay-scales.

34. Relaxation of the provisions of the rules in individual cases - When the Chairperson is satisfied that the operation of any of these rules causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber, he may, notwithstanding anything contained in these rules, deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to it to be just and equitable.

35. Validation of contribution to the contribution made by the Authority and the subscriber, etc.- Notwithstanding anything contained in these rules, the contribution to the Contributory Provident Fund made by the Authority and the subscriber and the amounts credited to the suspense account before commencement of these rules shall be deemed to have been made to the Fund and amounts credited to such account under these rules.

SCHEDULE I

[See rule 14 (1)]

FORM OF NOMINATION**Account No.....**

Ihereby nominate the person(s) mentioned below who is/are member(s)/non-member(s) of my family as defined in clause (j) of sub-rule (1) of rule 2 of the of Telecom Regulatory Authority of India (Contributory Provident Fund) Rules, 2003, to receive the amount that may stand to my credit in the Fund as indicated below, in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid.

Name and address of the nominee(s)	Relationship with the Subscriber	Age of the nominee(s)	Share payable to each nominee	Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid	Name, address and relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his/her pre-deceasing the Subscriber.	If the nominee is not a subscriber of the family as defined in clause (j) of sub-rule (1) of rule 2, indicate the reasons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Dated this day of 200 at

Signature of the Subscriber.....

Name in Block letters

Designation.....

Two witness of signature

Name and address

Signature

1.

2.

(Reverse of the form)

Space for use by Telecom Regulatory Authority of India/Board

Nomination by Shri/Smt./Kumari Designation.....

Date of receipt of nomination

Signature of Senior Research Officer (Administration and Legal)**Secretary of Board.....****Date.....****Instructions for the Subscriber –**

- (a) Your name may be filled in
- (b) Name of the fund may be completed suitably.
- (c) Definition of term “family” as given in the Telecom Regulatory Authority India (Contributory Provident Fund) Rules, 2003 is reproduced below:-

Family means-

- (i) in the case of a male subscriber, his wife or wives children, parents, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grand parent:

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the personal law governing him or the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance, she shall no longer be deemed to be a part of the subscriber's family in the matter to which these rules relate, unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Secretary that she shall continue to be so regarded.

- (ii) in the case of a female subscriber, her husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grand parent.

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Secretary expresses her desire to exclude her husband from the family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a subscriber of the her family in the matter to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice, in writing.

NOTE: 'Child' means legitimate child and includes an adopted child where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber or a ward under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), who lives with the subscriber and is treated as a member of the family and to whom the subscriber has, through a special will, given the same status as that of a natural born child.

- (d) **Column (4)** If only one person is nominated the words "in full" should be written against the nominee. If more than one person is nominated, the share payable to each nominee over the whole amount of the Provident Fund shall be specified.
- (e) **Column(5)** Death of nominee(s) should not be mentioned as contingency in this column.
- (f) **Column(6)** do not mention your name.
- (g) Draw line across the blank space below last entry to prevent insertion of any name after you have signed.

SCHEDULE II

(see rule 21)

(AUTHORITIES COMPETENT TO GRANT TEMPORARY ADVANCES)

1. An advance for the grant of which special reasons are not required under sub rule (2) of rule 21 may be sanctioned by the authority competent to grant an advance of pay on transfer under rule 222 of the General Financial Rules, 1963, or if the applicant is competent to sanction the advance of pay to himself on transfer, by the administrative authority next higher to the applicant.
2. An advance for grant of which special reasons are required under sub rule (2) of rule 21 may be sanctioned by Secretary of Telecom Regulatory Authority of India.

[F. No. 10/17/99-TCO]

P. K. TIWARI, Dy. Secy.